निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 माघ 1931 (श0)

(सं0 पटना 99) पटना, बुधवार, 10 फरवरी 2010

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

———————

अधिसूचनाएं

10 फरवरी 2010

सं0 3 / एम॰–64 / 2008का॰–666––भारत–संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 {समय–समय पर यथासंशोधित} में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती हैः–

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।– (1) यह नियमावली ''बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010 कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी ।

2. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 {समय–समय पर यथासंशोधित} के नियम 14 में ''स्पष्टीकरण'' के बाद ''स्पष्टीकरण (2)'' तथा ''स्पष्टीकरण (3)'' का जोड़ा जाना।– ''उक्त नियमावली के नियम 14 में प्रावधानित 'स्पष्टीकरण' को 'स्पष्टीकरण (1)' के रूप में संख्यांकित किया जायेगा तथा निम्नलिखित नये 'स्पष्टीकरण (2)' एवं 'स्पष्टीकरण (3)' जोड़े जायेंगे :–

''स्पष्टीकरण (2)''– इस नियम के अर्थान्तर्गत खंड (i), (ii), (iv), (v), (vi), (vii) एवं (viii) में अंकित शास्तियों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है, यथा–

(*i*) निन्दन– निन्दन की प्रविष्टि आरोपों अथवा भूल–चूक के वर्ष की चरित्रपुस्त में की जायेगी । जिस वर्ष के आरोपों अथवा भूल–चूक के कारण निन्दन की शास्ति दी जायेगी, उस निन्दन का संबंधित सरकारी सेवक की सम्पुष्टि एवं प्रोन्नति के मामलों पर उस वर्ष के बाद से अगले तीन वर्षों तक कुप्रभाव पड़ेगा । उदाहरणस्वरूप यदि किसी सरकारी सेवक को वर्ष 2002–2003 के आरोपों अथवा भूल–चूक के कारण निन्दन की सजा दी जाती है तो उसकी प्रविष्टि वर्ष 2002–2003 की चारित्री में होगी और उसका कुप्रभाव वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक रहेगा ।

ऐसा सरकारी सेवक जिसे तीन निन्दन की शास्तियाँ मिल चुकी हों, उसे प्रोन्नति के योग्य तभी समझा जायेगा जब अंतिम (तीसरे) निन्दन के कुप्रभाव की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उस सरकारी सेवक का अगले पाँच वर्षों में कम–से–कम तीन वर्षों का कार्य एवं आचरण उत्कृष्ट रहा हो और उसे अगले 5 वर्षों की अवधि में और कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं मिली हो । उदाहरणस्वरूप, यदि किसी सरकारी सेवक को दिये गये तीसरे निन्दन की शास्ति का कुप्रभाव 2002 में समाप्त होता हो और उसकी प्रोन्नति 2008 या उसके पूर्व देय होती हो तो

2008 में, अर्थात अंतिम निन्दन के कुप्रभावों की समाप्ति के पाँच वर्षों के बाद, उसकी प्रोन्नति देय समझी जायेगी, बशर्त्ते कि 2003 से 2007 तक की पाँच वर्षों की अवधि में कम–से–कम तीन वर्षों का उसका कार्य एवं आचरण उत्कृष्ट रहा हो और इन पाँच वर्षों की अवधि में उसे कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं मिली हो ।

(*ii*) प्रोन्नति रोकना– प्रोन्नति पर रोक की शास्ति देते समय अनुशासनिक प्राधिकार के आदेश में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि यह सजा किसी अवधि विशेष तक प्रभावी रहेगी अथवा पूरे सेवाकाल के लिए।

(*iii*) तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिए, संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति– इस शास्ति का प्रभाव आदेश निर्गत की तिथि से होगा । इस शास्ति में 'प्रक्रम' का आशय वेतनमान के प्रक्रम से है । चूँकि इसका प्रभाव संचयी नहीं (असंचयात्मक) है अतः शास्ति की अवधि के समाप्त होने पर प्रभावग्रस्त सभी प्रक्रमों का लाभ जोड़ते हुए अगला प्रक्रम अनुमान्य होगा ।

(*iv*) संचयी प्रभाव के बिना वेतनवृद्धियों को रोकना– ऐसी शास्ति का प्रभाव आदेश निर्गत की तिथि से होगा, अर्थात आदेश निर्गत होने की तिथि के बाद की वेतनवृद्धियाँ रोकी जायेगी । अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आदेश में रोकी गई वार्षिक वेतनवृद्धियों की संख्या का स्पष्ट अंकन आवश्यक होगा । शास्ति का आदेश संसूचित होने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि की देय तिथि से वेतनवृद्धि रुकी रहेगी । उदाहरणस्वरूप, यदि किसी सरकारी सेवक की दो वेतनवृद्धियाँ संचयी प्रभाव के बिना (अर्थात असंचयात्मक प्रभाव से) रोकी जाती है तो इसका अर्थ यह होगा कि शास्ति का आदेश संसूचित होने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि की देय तिथि से एक वर्ष तक प्रथम वेतनवृद्धि तथा दूसरी देय तिथि से अगले एक वर्ष तक दूसरी वेतनवृद्धि रुकी रहेगी । चूँकि शास्ति संचयी प्रभाव के बिना है अतः वेतनवृद्धि रोके जाने के बाद की तीसरी वेतनवृद्धि की देय तिथि से रुकी हुई दोनों वेतनवृद्धियों का प्रक्रम जोड़कर वेतनवृद्धि के साथ वेतन का भुगतान होगा, परन्तु रोकी गई अवधि का आर्थिक लाभ अनुमान्य नहीं होगा ।

इस शास्ति के प्रभाव में रहने की अवधि में, अर्थात् जितने वर्षों तक वेतनवृद्धि रुकी रहेगी उतने वर्षों तक, किसी प्रकार की प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जा सकेगा । शास्ति की अवधि समाप्त हो जाने के बाद ही देय तिथि से प्रोन्नति पर विचार सम्भव हो सकेगा ।

(*v*) संचयी प्रभाव के साथ वेतनवृद्धियों को रोकना– ऐसी शास्ति का प्रभाव आदेश निर्गत की तिथि से होगा, अर्थात आदेश निर्गत होने की तिथि के बाद की वेतनवृद्धियाँ रोकी जायेंगी । अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आदेश में रोकी गई वार्षिक वेतनवृद्धियों की संख्या का स्पष्ट अंकन आवश्यक होगा । शास्ति का आदेश संसूचित होने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि की देय तिथि से वेतनवृद्धि रुकी रहेगी । उदाहरणस्वरूप, यदि किसी सरकारी सेवक की दो वेतनवृद्धियाँ संचयी प्रभाव के साथ (अर्थात संचयात्मक प्रभाव से) रोकी जाती है तो इसका अर्थ यह होगा कि शास्ति का आदेश संसूचित होने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि की देय तिथि से एक वर्ष तक प्रथम वेतनवृद्धि तथा दूसरी देय तिथि से अगले एक वर्ष तक दूसरी वेतनवृद्धि रुकी रहेगी । जितने वर्षों तक की शास्ति रहेगी उतने ही वर्षों के वेतनवृद्धियों के लिए संचयी प्रभाव रहेगा, परन्तु चूँकि शास्ति संचयी प्रभाव के साथ है अतः रोकी गई वेतनवृद्धियाँ पूरी सेवाकाल तक के लिए रुक जायेगी । ऐसी स्थिति में रोकी गई वेतनवृद्धियों के बाद तीसरी वेतनवृद्धि की देय तिथि से रुकी हुई दोनों वेतनवृद्धियों का प्रक्रम जोड़े बिना वेतनवृद्धि के साथ वेतन का भुगतान होगा ।

इस शास्ति के प्रभाव में रहने की अवधि में, अर्थात् जितने वर्षों तक वेतनवृद्धि रुकी रहेगी उतने वर्षों तक, किसी प्रकार की प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जा सकेगा । शास्ति की अवधि समाप्त हो जाने के बाद ही देय तिथि से प्रोन्नति पर विचार सम्भव हो सकेगा ।

(*vi*) कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अवनति, इन निदेशों के साथ कि ऐसी अवनति की अवधि के दौरान सरकारी सेवक वेतनवृद्धियाँ अर्जित करेगा या नहीं तथा ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद उक्त अवनति का प्रभाव उसकी भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित रखने पर होगा या नहीं ।– ऐसी शास्ति दिये जाने के आदेश में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि कितनी अवधि के लिए ऐसी शास्ति प्रभावी रहेगी और उस दरम्यान वार्षिक वेतनवृद्धि अर्जित की जा सकेगी या नहीं की जा सकेगी । यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि शास्ति की अवधि की समाप्ति के बाद भविष्य की वेतनवृद्धियाँ स्वतः अनुमान्य होने लगेंगी या बाधित रहेंगी, और यदि बाधित रहेंगी तो कितनी अवधि तक बाधित रहेंगी ।

ऐसी अवनति की अवधि की समाप्ति के बाद यदि भविष्य की वेतनवृद्धियाँ बाधित रखी जाती हैं तो जितने वर्षों के लिए वेतनवृद्धियाँ बाधित रहेंगी उतने वर्षों तक प्रोन्नति बाधित रहेगी ।

(vii) निम्नतर कालमान वेतन, कोटि, पद या सेवा में अवनति, जो सामान्यतया सरकारी सेवक को उस कालमान वेतन, कोटि, पद या सेवा में, जिससे वह अवनत किया गया हो, प्रोन्नति के लिए उस कोटि या पद या सेवा में, जिससे सरकारी सेवक अवनत किया गया हो, प्रत्यावर्तन की शर्त्तों तथा उस कोटि, पद या सेवा में ऐसे प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप उसकी वरीयता एवं वेतन के संबंध में दिये जाने वाले अगले निदेशों के साथ या के बिना, अवरोधक होगा।– इस शास्ति संबंधी आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा कि इसकी प्रभाव सीमा स्थायी या अनिश्चित अवधि के लिए होगी या नहीं । यदि इसकी प्रभाव सीमा स्थायी या अनिश्चित अवधि के लिए करने का इरादा नहीं हो तो वैसी स्थिति में ऐसी अवनति की अवधि का उल्लेख और साथ ही ऐसी अवनति की अवधि की

समाप्ति पर पुनर्स्थापन की शर्त्तों का भी उल्लेख प्रस्तावित शास्ति में करना आवश्यक होगा । अतः अनुशासनिक प्राधिकार के लिए यह अपेक्षित होगा कि शास्ति अधिरोपित किये जानेवाले आदेश में निम्नांकित रूप में निदेश विनिर्दिष्ट किये जायँ :–

(क) अवनति की अवधि, यदि स्पष्ट इरादा यह नहीं हो कि अवनति स्थायी तौर पर होगी या अनिश्चित अवधि के लिए;

(ख) जहाँ अवनति की अवधि विनिर्दिष्ट की जाय वहाँ यह भी उल्लेख किया जाय कि अवनति की अवधि की समाप्ति पर सरकारी सेवक को स्वतः उस पद पर प्रोन्नति दी जायेगी या नहीं जिस पद से वह अवनत हुआ; और

(ग) ऐसी पुनर्प्रोन्नति के फलस्वरूप सरकारी सेवक उच्चतर सेवा, कोटि या पद या कालमान वेतन, जो उसे दण्ड दिये जाने के पूर्व दिया गया था, में अपनी मौलिक वरीयता पुनर्प्राप्त कर लेगा या नहीं ।''

''स्पष्टीकरण (3)– चेतावनी– इस नियम के अर्थान्तर्गत 'चेतावनी' शास्ति नहीं है और इस कारण इसे शास्तियों की किसी भी श्रेणी में नहीं रखा गया है । परन्तु ऐसे अवसर आ सकते हैं जब अनुशासनिक प्राधिकार या उनके अधीनस्थ पदाधिकारी को अधीनस्थ किसी सरकारी सेवक की उसकी लापरवाही, अभिरुचि का अभाव, कार्य में विलम्ब आदि कारणों से, आलोचना करने की आवश्यकता आ पड़े । ऐसी आलोचना ''मौखिक'' या ''लिखित'' चेतावनी देकर की जा सकती है ताकि सरकारी सेवक के कार्यों में सुधार आ सके । ऐसा भी हो सकता है कि किसी आरोप के लिए अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया अर्थात स्पष्टीकरण पूछने पर उसकी जाँच के बाद यह निष्कर्ष निकले कि ''निन्दन'' की सजा देने के बजाय आरोपित व्यक्ति को ''चेतावनी'' देना पर्याप्त है । ऐसी हालत में जो ''चेतावनी'' दी जाती है उसकी प्रविष्टि चरित्र–पुस्त में की जानी चाहिए । परन्तु चरित्र–पुस्त में प्रविष्टि हो जाने से ऐसी ''चेतावनी'' ''निन्दन'' में परिवर्त्तित नहीं हो सकती है । हालाँकि ऐसी चेतावनी का असर सरकारी सेवक की मेधा या उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए उसके विचार योग्य होने पर पड़ता है । ऐसी ''चेतावनी'' ''निन्दन'' नहीं हो सकती है, क्योंकि 'चेतावनी'' देते समय उसे ''निन्दन'' के योग्य नहीं पाया गया था । यदि किसी सरकारी सेवक की चरित्रपुस्त में ''दो चेतावनियों'' की प्रविष्टि हो तो, वर्णित कारणों से, ऐसी चेतावनियाँ ''निन्दन'' में परिवर्त्तित नहीं मानी जा सकती हैं और न ही वे ''एक निन्दन'' के समान हो जा सकती हैं । परन्तु इसका तात्पर्य यह भी नहीं होता है कि सरकारी सेवक के विरुद्ध चाहे कितनी भी चेतावनियाँ चरित्रपुस्त में दर्ज हो जायँ । चेतावनियाँ प्रतिकूल अभ्युक्तियों का काम करती हैं । यदि चेतावनी के बावजूद कार्य में सुधार नहीं आ पाता है तो प्रतिवेदक/समीक्षी पदाधिकारी तदनुसार अभ्युक्ति लिखने हेतु सक्षम होते हैं ।

अगर किसी सरकारी सेवक को दण्ड के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए (यानी सफाई देने का अवसर देकर उनके स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए) 'चेतावनी' दी जाती है और जिसकी प्रविष्टि चरित्रपुस्त में की जाती है तो उसका कुप्रभाव सरकारी सेवक की सम्पुष्टि तथा प्रोन्नति में अगले एक वर्ष तक पड़ेगा । यदि किसी सरकारी सेवक की चरित्रपुस्त में पाँच चेतावनी की प्रविष्टि हुई हो तो उसे प्रोन्नति के योग्य तभी समझा जायेगा जब पाँचवीं चेतावनी के कुप्रभाव की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उस सरकारी सेवक का अगले पाँच वर्षों में कम–से–कम तीन वर्षों का कार्य एवं आचरण उत्कृष्ट रहा हो और उसे अगले पाँच वर्षों की अवधि में कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं मिली हो ।''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव लोचन,
सरकार के विशेष सचिव ।

10 फरवरी 2010

सं0 3/एम॰–64/2008 का॰–667—अधिसूचना संख्या–666 दिनांक 10 फरवरी 2010 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत–संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिसूचना का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव लोचन,
सरकार के विशेष सचिव ।

The 10th February 2010

No. 3/M-64/2008 KA.-666—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Government of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar

Government Servants (Classification, Control & Appeal) Rules, 2005 [as amended from time to time]-

Bihar Government Servants (Classification, Control & Appeal) (Third Amendment) Rules, 2010.

1. *Short Title, Extension & Commencement.*-(1) These Rules may be called the Bihar government Servants (Classification, Control & Appeal) (Third Amendment) Rules, 2010.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) These Rules shall come into force immediately.

2. *Addition of EXPLANATION (2) and EXPLANATION (3) after existing EXPLANATION in rule 14 of the Bihar Government Servants (Classification, Control & Appeal) Rules, 2005 (as amended from time to time).*- In rule 14 of the said Rules, the existing "EXPLANATION" shall be numbered as "EXPLANATION (1)" and following new "EXPLANATION (2)" and

EXPLANATION (3)" shall be added.-

"EXPLANATION (2)- The penalties mentioned in the clauses (i),(ii),(iv),(v),(vi), (vii) and (viii) are explained as follows within the meaning of this rule-

(i) Censure.-The Censure shall be entered in the character roll of the year the allegation or omission & commission. The adverse effect of censure on the confirmation and promotion of concerned Government Servant shall be for next three consecutive years after the year of allegation or omission & commission for which he or she is censured. For example, if a Government Servant is censured for the allegation or omission & commission of the year 2002-2003, it shall be entered in the character roll of 2002-2003 and its adverse effect shall be from the year 2003-2004 to 2005-2006.

Such Government Servant who has been awarded with three censures, shall be deemed to be fit for promotion only if after expiry of the period of adverse effect of last (third) censure, during the next five years his work and conduct of at least three years is extraordinary and has not been awarded any adverse remarks for the period of next five years. For example, if the adverse effect of third censure of a Government servant expires in 2002 and his promotion is due in 2008 or before that, in that case his promotion shall be deemed to be due in 2008, i.e. five years after the expiry of adverse effects of last censure, with the condition that during the five years of 2003 to 2007 his work and conduct of at least three years is extraordinary and during the said five years he has not been awarded any adverse remarks.

(ii) Withholding of Promotion.- While awarding the penalty of withholding of promotion, it shall be essential to explain in the order of the disciplinary authority whether this penalty shall be for a particular period or for the whole service period.

(iii) Reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a period not exceeding three years, without cumulative effect.- This penalty shall be effective from the date of issue of order. In this penalty the 'stage' means the stage of pay scale. As it is without cumulative effect, therefore

after the expiry of the period of penalty the next stage shall be admissible adding the benefit of all the effected stages.

(iv) Withholding of increments of pay without cumulative effect.- Such penalty shall be effective from the date of issue of order, i.e. the increments due after the issue of the order shall be withheld. It will be essential to mention clearly the number of annual increments withheld in the order by the disciplinary authority. After the communication of order of penalty the increment shall remain withheld from the due date of next increment. For example, if two increments of a Government Servant are withheld without cumulative effect, it will mean that after the date of communication of order of penalty, from the due date of next increment till one year the first increment and from the second due date till one year the second increment shall remain withheld. As the penalty is without cumulative effect, the salary from the due date of third increment after the withholding of increments shall be paid with increment after adding the stages of both the withheld increments, but the financial benefit of withheld period shall not be admissible.

No promotion shall be considered during the period of operation of this penalty, i.e. for the number of years the increments are withheld. Only after the expiry of the period of penalty, it will be possible to consider on the promotion from the due date.

(v) Withholding of increments of pay with cumulative effect.-

Such penalty shall be effective from the date of issue of order, i.e. the increments due after the issue of the order shall be withheld. It will be essential to mention clearly the number of annual increments withheld in the order by the disciplinary authority. After the communication of order of penalty the increment shall remain withheld from the due date of next increment. For example, if two increments of a Government Servant are withheld with cumulative effect it will mean that after the date of communication of order of penalty, from the due date of next increment till one year the first increment and from the second due date till one year the second increment shall remain withheld. The cumulative effect shall be for such number of years as is the increments withheld, but as the penalty is with cumulative effect therefore the withheld increments shall remain withheld for the whole service period. Under these circumstances, the salary from the due date of third increment after the withholding of increments shall be paid with increment without adding the stage of both the withheld increments.

No promotion shall be considered during the period of operation of this penalty, i.e. for the number of years the increments are withheld. Only after the expiry of the period of penalty it will be possible to consider on the promotion from the due date.

(vi) Reduction to a lower stage in time-scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government Servant will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay.- It shall be essential to mention clearly in the order the period of effect of such

penalty and also whether annual increment will be earned during such period or not. It shall also be essential to explain whether on the expiry of period of penalty, further increments will be automatically admissible or will remain postponed, and if postponed the period of such postponement.

If the future increments are postponed after expiry of period of such reduction, in that case the promotion will be withheld for such number of years as is the number of years of withholding of increment.

(vii) Reduction to a lower time-scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the government servant to the time-scale of pay, grade, post or service from which he or she was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government Servant was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service.- It shall be essential to mention clearly in the order concerning this penalty whether its limit of effect shall be permanent or for indefinite period, or not. If the intention is not to make its limit of effect permanent or for indefinite period, in that case it shall be essential to mention the period of such reduction and the conditions of restoration after the completion of period of such reduction in the proposed penalty. Therefore, it shall be desirable for the disciplinary authority to invariably specify the following instructions in the order of penalty-

(a) the period of reduction, unless the clear intention is that the reduction should be permanent or for an indefinite period;

(b) where the period of reduction is specified whether on the expiry of the period the Government Servant is to be promoted automatically to the post from which he was reduced; and

(c) whether on such re-promotion, the Government Servant will regain his original seniority in the higher service, grade or post or higher time-scale which had been assigned to him prior to the imposition of the penalty."

"Explanation (3)- Warning- The warning is not a penalty within the meaning of this rule and due to this it has not been placed in any of the category of penalty. But the occasion may come when the disciplinary authority or his sub-ordinate authority may need to criticize a Government Servant due to his carelessness, lack of interest, delay in execution of work etc. Such criticism may be done by warning him orally or in writing, so that the work of the Government Servant may be improved. It is also possible that after the procedure of disciplinary proceeding for an allegation i.e. after the scrutiny of explanation it is concluded that it will be sufficient to warn the delinquent person instead of censuring him. In that circumstances the 'Warning' awarded should be entered into the character roll. But with the entering into character roll such 'warning' cannot be converted into 'censure'. However such warning has the effect on the merit of the Government Servant or on his being considered for

promotion on higher post. Such 'warning' cannot be a 'censure' because while awarding 'warning' he was not considered to be censured. If there is entry of 'two warnings' in the character roll of a Government Servant, the said 'warnings', due to the aforesaid reasons, neither be deemed to be converted into 'censure' nor be equivalent to 'a censure'. But it does not mean that Government Servant may have so many 'warnings' entered into his character roll. The 'warnings' has the effect of adverse remarks. If there is no improvement in the work despite warning, the reporting/reviewing officer is competent to record the remarks accordingly.

If a Government Servant is awarded 'warning' after adopting the prescribed procedure of awarding penalty (i.e. after giving an opportunity to explain his conduct and keeping in view the explanation submitted by him) and which is entered into character roll, in that case it shall have the adverse effect for next one year on the confirmation and promotion of the Government Servant. If five 'warnings' are entered into the character roll of a Government Servant, he shall be deemed to be fit for promotion, if after expiry of the period of adverse effect of the fifth warning, during the next five years his work and conduct of at least three years is extra-ordinary and he has not been awarded any adverse remarks for the period of next five years."

By order of the Governor of Bihar,
RAJIVA LOCHAN,
Special Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 99-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 24 जून, 2008

संख्या-3/एम-166/2006 का. 4033/भारत संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।- (1)यह नियमावली बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील)(द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2008 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के उप नियम(2) में एक परन्तुक को अंतः स्थापित किया जाना।-उक्त नियमावली में, नियम-17 के उप नियम (2) में 'स्पष्टीकरण' के पहले निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जायेगा:-

"परन्तु जहाँ जाँच प्राधिकारी के रूप में विभागीय जाँच आयुक्त की नियुक्ति की गई हो वहाँ विभागीय जाँच आयुक्त या तो स्वयं जाँच करेंगे या जाँच का कार्य अपर विभागीय जाँच आयुक्त को हस्तांतरित कर सकेंगे । जाँच के ऐसे हस्तांतरित मामले में अपर विभागीय जाँच आयुक्त जाँच-प्रतिवेदन सहित जाँच-अभिलेख सीधे अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रेषित कर सकेंगे ।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

24/6/08

(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- 3/एम0-166/2006 का. 4033 /पटना-15 दिनांक 24 जून, 2008.

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलज़ार बाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 500(पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

24/6/08

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक- 3/एम0-166/2006 का. 4033 /पटना-15 दिनांक 24 जून, 2008.

प्रतिलिपि- सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषि।

24/6/08

सरकार के उप सचिव ।

C:\Sec 3\Rawat Jee\Notification of Bihar Govt Servant Appeal.doc

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 24 जून, 2008

संख्या–3/एम–1–16/2001 का. 4034/ अधिसूचना सं. 4033 दिनांक 24.6.2008 का संलग्न अँगरेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिसूचना का अँगरेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
24/6/08
(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 3/एम–166/2006 का. 4034/पटना–15 दिनांक 24 जून, 2008

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलज़ारबाग़, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 500(पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

24/6/08
सरकार के उप सचिव।

Govt. of Bihar

Personnel and Administrative Reforms Department

NOTIFICATION

Patna-15, dated 24 June, 2008

No. 3/M-166/2006-Ka. ...4033.../ In exercise of powers conferred by the Proviso to the Article-309 of the Constitution of India, the Government of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005-

1. Short title, extent and commencement - (1) These Rules may be called the Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) (Second Amendment) Rules, 2008,

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar,

(3) It shall come into force at once.

2. Insertion of a Proviso to sub-rule(2) of rule-17 of the Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 - In the said Rules the following proviso shall be inserted before 'EXPLANATION' to sub-rule (2) of rule 17:-

"Provided that where the Departmental Enquiry Commissioner is appointed as inquiring authority in such cases the Departmental Enquiry Commissioner either himself conduct the inquiry or may transfer the case of enquiry to the Additional Departmental Enquiry Commissioner. In the matter of such transferred cases of enquiry the Additional Departmental Enquiry Commissioner may forward the records of enquiry alongwith Enquiry report directly to the Disciplinary Authority."

By the Order of the Governor of Bihar,

24/6/08

(Saryug Prasad)
Dy. Secretary to Government.

C:\Sec.3\Rawat Jee\Notification of Bihar Govt. Servant Appeal.doc

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना, दिनांक- 20.08.2007

संख्या-3/एम-166/2006-का0- 2797, भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है-

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-(1) यह नियमावली "बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी ।

2. "बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 का प्रतिस्थापन ।- उक्त नियमावली के नियम-14 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा-

"14. <u>लघु एवं वृहत शास्तियाँ</u> ।-समुचित और यथेष्ट कारणों से तथा इसमें इसके बाद यथाउपबंधित, निम्नलिखित शास्तियाँ, सरकारी सेवक पर अधिरोपित की जा सकेंगी, यथा:-

<u>लघु शास्तियाँ-</u>

(i) निन्दन;

(ii) प्रोन्नति रोकना;

(iii) लापरवाही या आदेशोल्लंघन के कारण सरकार को उसके द्वारा पहुंचायी गयी किसी वित्तीय हानि की उसके वेतन से पूरी या आंशिक वसूली;

(iv) तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिये, संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति;

(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतनवृद्धियों को रोकना;

<u>वृहत शास्तियाँ-</u>

(vi) संचयी प्रभाव के साथ वेतनवृद्धियों को रोकना;

(vii) इस नियम के खंड (iv) में यथा उपबंधित के सिवाय, कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये अवनति, इन निदेशों के साथ कि ऐसी अवनति की अवधि के दौरान सरकारी सेवक वेतनवृद्धियाँ अर्जित करेगा या नहीं तथा ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद उक्त अवनति का प्रभाव उसकी भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित रखने पर होगा या नहीं;

(viii) निम्नतर कालमान वेतन, कोटि, पद या सेवा में अवनति, जो सामान्यतया सरकारी सेवक को उस कालमान वेतन, कोटि, पद या सेवा में जिससे वह अवनत किया गया हो, प्रोन्नति के लिये उस कोटि या पद या सेवा में जिससे सरकारी सेवक अवनत किया गया हो, प्रत्यावर्तन की शर्तों तथा उस कोटि, पद या सेवा में ऐसे प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप उसकी वरीयता एवं वेतन के संबंध में दिये जानेवाले आगे निर्देशों के साथ या के बिना, अवरोधक होगा;

(ix) अनिवार्य सेवानिवृत्ति;

(x) सेवाच्युति, जो सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिये निरर्हता नहीं होगी;

(xi) सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिये निरर्हता होगी:

परन्तु ऐसे हरेक मामले में जिसमें किसी पदीय कार्य करने या से प्रविरत करने के लिये हेतु या पुरस्कार के रूप में किसी व्यक्ति से, वैध पारिश्रमिक से भिन्न, कोई परितोषण स्वीकार किया जाना सिद्ध हो जाय, खंड (x) या खंड (xi) में उल्लेखित शास्ति अधिरोपित की जायेगी:

परन्तु और कि किसी आपवादिक मामले में तथा लिखित रूप में अभिलिखित किये जानेवाले विशेष कारणों से कोई अन्य शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी ।

स्पष्टीकरण- इस नियम के अधीनान्तर्गत निम्नलिखित को शास्ति नहीं माना जायेगा, यथा:-

(i) किसी सरकारी सेवक की, जिस सेवा में वह है या जो पद वह धारण करता है उसे शासित करनेवाले नियमों या आदेशों या उसकी नियुक्ति के निबंधनों के अनुसार किसी विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने पर, वेतन-वृद्धि रोक रखना;

(ii) किसी सरकारी सेवक की, चाहे वह मौलिक या स्थानापन्न हैसियत में हो, किसी सेवा, कोटि या पद, जिसके लिये वह पात्र हो, के लिये उसके मामले पर विचारोपरान्त, प्रोन्नति रोक देना;

(iii) किसी सरकारी सेवक को, चाहे वह मौलिक या स्थानापन्न हैसियत में हो, किसी सेवा, कोटि या पद, जिसके लिये वह पात्र हो, के लिये उसके मामले पर विचारोपरान्त, प्रोन्नति नहीं मिलना;

(iv) उच्चतर सेवा, कोटि या पद पर स्थानापन्न रूप में कार्यरत किसी सरकारी सेवक का, उसके आचरण से असंजुड़े किसी प्रशासनिक आधार पर निम्नतर सेवा, कोटि या पद पर प्रत्यावर्तन;

(v) परिवीक्षा पर किसी अन्य सेवा, कोटि या पद पर नियुक्त किसी सरकारी सेवक का, उसकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करनेवाले नियमों एवं आदेशों के अनुसार, परिवीक्षा अवधि की समाप्ति या उसके दौरान उसकी स्थायी सेवा, कोटि या पद पर प्रतिवर्तन;

(vi) किसी सरकारी सेवक की सेवा का, जिसकी सेवाएँ किसी राज्य सरकार से या किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन के किसी प्राधिकार से उधार ली गयी हो, उस राज्य सरकार या उस प्राधिकार में प्रतिस्थापन, जिसको ऐसे सरकारी सेवक की सेवा उधार ली गयी थी;

(vii) अंशदायी या सेवानिवृत्ति से संबंधित बिहार सेवा संहिता के नियम 74 के उपबंधों के अनुसार किसी सरकारी सेवक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति;

(viii) सेवा- समाप्ति-

(क) परिवीक्षा पर नियुक्त किसी सरकारी सेवक की, उसकी परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, उसकी नियुक्ति के निर्बंधनों और शर्त्तों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करनेवाले नियमों एवं आदेशों के अनुसार, अथवा

(ख) करार के अधीन नियोजित किसी सरकारी सेवक की, ऐसे करार के निर्बंधनों और शर्त्तों के अनुसार ।"

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-16 में संशोधन ।- उक्त नियमावली के नियम-16 के उप नियम (2) में प्रयुक्त शब्द-समूहों "नियम-14 के खंड (vi) से (x)" को शब्द समूहों "नियम-14 के खंड (vi) से (xi)" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

4. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 में संशोधन ।- उक्त नियमावली के नियम-17 के उप नियम (1) एवं (21) में जहाँ-जहाँ शब्द-समूह "नियम-14 के खंड (vi) से (x)" प्रयुक्त हुए हैं वहाँ वहाँ उन्हें शब्द-समूह "नियम-14 के खंड (vi) से (xi)" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

5. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18 में संशोधन ।- उक्त नियमावली के नियम-18 के उप नियम (6) में प्रयुक्त शब्द-समूह "नियम-14 के खंड (vi) से (x)" को शब्द-समूह "नियम 14 के खंड(vi) से (xi)" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(आमिर सुबहानी) 17.8.07
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-3/एम-166/2006-का0-2797 / पटना, दिनांक- 20.08.2007

प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव 17.8.07

ज्ञापांक-3/एम 166/2006-का0- 2797 / पटना, दिनांक- 20.08.2007

प्रतिलिपि-सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव 17.8.07

बिहार सरकार
वर्गीकृत एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना, दिनांक– 20/08/2007

संख्या–3 / एम–166 / 2006–को0– 2798 /अधिसूचना सं0279 दिनांक 20.8.07 के द्वारा निर्गत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 का निम्नलिखित अँग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत–संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त नियमावली का अँगरेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(आमिर सुबहानी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–3 / एम0–166 / 2006– 2798 /पटना, दिनांक– 20.08.2007

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, मुख्यालयवाग को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव

GOVERNMENT OF BIHAR
PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Patna, Dated -....20.08.2007

No 3/M-166/2006-Ka-2797/ In exercise of he powers conferred by the proviso to the article 309 of the Constitution of India, the Government of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Government Servants (Classification, control & Appeal) Rules, 2005-

BIHAR GOVERNMENT SERVANTS (CLASSIFICATION, CONTROL & APPEAL) (Amendment) RULES, 2007

1. **Short title, extent and commencement.-** (1) These Rules may be called the "Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) (Amendment) Rules, 2007.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force atonce.

2. **Substitution of rule 14 of the Bihar Government Servants (Classification, Control & Appeal) Rules, 2005.-** Rule 14 of the said Rules shall be substituted by the following-

"14. **Minor and Major Penalties .-** The following penalties may, for good and sufficient reasons and as hereinafter provided, be imposed on a government servant, namely:-

Minor Penalties:-

(i) censure;

(ii) withholding of promotion;

(iii) recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to the Government by negligence or breach of orders;

(iv) reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a period not exceeding three years, without cumulative effect.

(v) withholding of increments of pay without cumulative effect.

Major Penalties

(vi) Withholding of increments of pay with cumulative effect.

(vii) Save as provided for in clause (iv),reduction to a lower stage in time-scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the government servant will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the

reduction will or will not have the effect of postponing the future increements of his pay;

(viii) reduction to a lower time-scale of pay, grade, post or Service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the government servant to the time-scale of pay, grade, post or service from which he or she was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the government servant was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or Service;

(ix) compulsory retirement;

(x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;

(xi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government:

Provided that, in every case in which the charge of acceptance from any person of any gratification, other than legal remuneration, as a motive or reward for doing or forbearing to do any official act is established, the penalty mentioned in clause(x) or clause(xi) shall be imposed:

Provided further that in any exceptional case and for special reasons to be recorded in writing , any other penalty may be imposed

EXPLANATION- *The following shall not amount to a penalty within the meaning of this rule, namely,-*

(i) withholding of increments of pay of a government servant for his failure to pass any departmental examination in accordance with the Rules or orders governing the service to which he belongs or post which he holds or the terms of his appointment;

(ii) withholding of promotion of a government servant after consideration of his case to a service, grade or post for which he is eligible, whether he is in a substantive or in officiating capacity.

(iii) non-promotion of a government servant, whether in a substantive or officiating capacity, after consideration of his case, to a Service , grade or post for promotion to which he is eligible;

(iv) reversion of a government servant officiating in a higher Service, grade, or post to a lower Service, grade or post or on any administrative ground unconnected with his conduct;

(v) reversion of a government servant, appointed on probation to any other Service, grade or post to his permanent Service, grade or post during or at the end of the period of probation in

accordance with the terms and conditions of his appointment or the Rules and order governing such probation;

(vi) *replacement of the services of a government servant, whose services had been borrowed from a State Government or an authority under the control of a State Government, at the disposal of the State Government or the authority from which the services of such Government or the authority from which the services of such government servant had been borrowed;*

(vii) *compulsory retirement of a government servant in accordance with the provisions relating to superannuation or retirement under rule 74 of the Bihar Service Code;*

(viii) *termination of the service-*

(a) of a government servant appointed on probation, during or at the end of the period of his probation, in accordance with the terms and conditions of his appointment or the Rules and orders governing such probation; or

(b) of a government servant, employed under an agreement, in accordance with the terms of such agreement."

3. **Amendment in rule-16 of the Bihar Government Servants (Classification, Control & Appeal) Rules, 2005.-** In sub rule (2) of rule-16, the groups of words " clauses (vi) to (x) of rule 14 " shall be substituted by the groups of words "clauses (vi) to (xi) of rule 14".

4. **Amendment in rule 17 of the Bihar Government Servants (Classification, Control & Appeal) Rules, 2005-** In sub rule (1) and (21) of rule 17 wherever the group of words "Clauses (vi) to (x) of rule 14" is used, shall be substituted by the group of words" clauses (vi) to (xi) of rule 14."

5. **Amendment in rule 18 of the Bihar Government Servants (Classification, Control & Appeal) Rules, 2005.-** The group of words " clauses (vi) to (x) of rule 14" used in sub rule (6) of rule 18 shall be substituted by the group of words "clauses (vi) to (xi) of rule 14."

By the order of Governor of Bihar,

(Amir Subhani) 17-8-07
Secretary to Government

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 आषाढ़ 1927 (श०)

(सं० पटना 348) पटना, बुधवार 13 जुलाई 2005

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचनाएं

12 जुलाई 2005

सं० 1112—भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005

भाग-I

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-(1) यह नियमावली "बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

2. परिभाषाएं।-जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, इस नियमावली के प्रयोजनार्थ-

(क) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(ख) 'सरकार के आदेश' से अभिप्रेत है भारत संविधान के अनुच्छेद 166 के अन्तर्गत निर्मित कार्यपालिका नियमावली में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत पारित कार्यपालक आदेश;

(ग) 'परिवीक्षाधीन (व्यक्ति)' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो परिवीक्षा पर किसी सेवा में नियुक्त है;

(घ) 'सिविल सेवा संवर्ग' से अभिप्रेत है राज्य की सिविल सेवाओं के सभी वर्ग तथा इसमें बिहार राज्य सरकार के अधीन सभी अन्य समान संवर्गीय अथवा गैर संवर्गीय पद भी सम्मिलित हैं;

'पद' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार की सेवा के अधीन कोई भी पद;

(ङ) किसी सरकारी सेवक के संबंध में 'नियुक्त प्राधिकार' से अभिप्रेत है-

(*i*) वह प्राधिकार जो उस सेवा में नियुक्ति करने के लिये सक्षम हो जिसका वह सरकारी सेवक तत्समय एक सदस्य है, अथवा

(ii) वह प्राधिकार जो उस पद पर नियुक्ति करने के लिये सक्षम हो जिसे वह सरकारी सेवक तत्समय धारण करता है, अथवा

(iii) वह प्राधिकार जो, यथास्थिति, ऐसी सेवा, कोटि या पद पर सरकारी सेवक की नियुक्ति किया हो, अथवा

(iv) जहाँ सरकारी सेवक किसी अन्य सेवा का स्थायी सदस्य होते हुए अथवा कोई अन्य स्थायी पद मौलिक रूप से धारण करते हुए सरकार के सतत नियोजन में रहा हो, वहां वह प्राधिकार जो, उसे उस सेवा में या उस सेवा के किसी कोटि में या उस पद पर नियुक्त किया हो ।

(च) किसी सेवा के संबंध में 'संवर्ग प्राधिकार' से वही अभिप्रेत होगा जो उस सेवा को विनियमित करनेवाली नियमावली में हो;

(छ) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;

(ज) ''बिहार सरकार के विभाग'' से अभिप्रेत है कार्यपालिका नियमावली में यथाविनिर्दिष्ट कोई विभाग;

(झ) किसी संवर्ग-विशेष की नियमावली में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय ''अनुशासनिक प्राधिकार'' से अभिप्रेत है नियुक्ति प्राधिकार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकार, जो नियम-14 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से किसी को सरकारी सेवक पर अधिरोपित करने के लिये इस नियमावली के अधीन सक्षम होंगे;

(ञ) ''सरकारी सेवक'' से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो-

(i) राज्य के अधीन किसी सेवा का सदस्य है अथवा सिविल पद धारण करता है और उसमें ऐसा व्यक्ति शामिल है जो वाह्य सेवा में हो अथवा जिसकी सेवा सरकार अथवा किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकार को अस्थायी रूप से सौंपी गयी हो;

(ii) सरकार के अधीन किसी सेवा का सदस्य हो अथवा सिविल पद धारण करता हो और जिसकी सेवा संघ सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार को अस्थायी रूप से सौंपी गयी हो;

(ट) नियुक्ति, अनुशासनिक, अपीलीय या पुनरीक्षणकर्त्ता प्राधिकार के रूप में शक्तियों के प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ ''विभागाध्यक्ष'' से अभिप्रेत है ऐसा प्राधिकार, जिसे बिहार सेवा संहिता के अधीन विभागाध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया हो;

(ठ) नियुक्ति, अनुशासनिक, अपीलीय या पुनरीक्षणकर्त्ता प्राधिकार के रूप में शक्तियों के प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ ''कार्यालय

प्रधान'' से अभिप्रेत है ऐसा प्राधिकार जिसे कार्यालय प्रधान के रूप में घोषित किया गया हो;

(ड) ''सचिव'' से अभिप्रेत है किसी विभाग में सरकार का सचिव;

(ढ़) ''सेवा'' से अभिप्रेत है राज्य की सिविल सेवा;

(ण) ''वैध नोटिस'' से अभिप्रेत है सिविल प्रोसिड्योर कोर्ट एवं जेनरल क्लाउजेज एक्ट के अधीन प्रावधानित नोटिस ।

3. नियमावली का लागू होना ।-(1)यह नियमावली, निम्नलिखित को छोड़कर, सभी सरकारी सेवकों पर लागू होगी;

(क) अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य;

(ख) आकस्मिक नियोजन में किसी व्यक्ति;

(ग) एक माह की अवधि से भी कम समय की सूचना पर सेवोन्मुक्ति के अधीन किसी व्यक्ति;

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति पर, जिसके लिये इस नियमावली से आच्छादित मामलों के संबंध में विशेष उपबंध तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा या के अधीन अथवा इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व या बाद सरकार के पूर्वानुमोदन से, विशेष उपबंधों से आच्छादित मामलों के संबंध में किये गये किसी समझौते के अन्तर्गत किया जाता है ।

(2) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार के आदेश द्वारा, किसी वर्ग के सरकारी सेवक को इस नियमावली के किसी नियम या नियमों के उसके विरूद्ध प्रवर्त्तन से अपवर्जित किया जा सकेगा ।

(3) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यह नियमावली उप-नियम (1) के (घ) में आनेवाली सिविल सेवा या पद में अस्थायी रूप में स्थानान्तरित प्रत्येक सरकारी सेवक पर लागू होगी ।

(4) यदि इस नियमावली के प्रावधानों के संबंध में कोई शंका उठती है तो मामला सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के लिये निर्देशित किया जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा ।

भाग II
वर्गीकरण

4. सिविल सेवाओं का वर्गीकरण ।-(1)राज्य की सिविल सेवाओं को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जायेगा:-

(i) समूह - क

(ii) समूह - ख

(iii) समूह - ग

(iv) समूह - घ

5. सिविल सेवाओं का गठन: ।- सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा राज्य की सिविल सेवाओं को समूह- क, समूह- ख, समूह- ग और समूह- घ में गठित किया जायेगा ।

6. पदों का वर्गीकरण ।-राज्य के अधीन सभी सिविल पदों को सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जायेगा:-

(i) समूह - क
(ii) समूह - ख
(iii) समूह - ग
(iv) समूह - घ

स्पष्टीकरण- इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पहले लागू सभी नियमावलियों, आदेशों, परिशिष्टों, अधिसूचनाओं, विनियमावलियों,अनुदेशों एवं सभी निदेशों में प्रयुक्त सिविल सेवाओं/पदों के समूह- क, समूह- ख, समूह- ग और समूह- घ के लिये निर्देशों से अभिप्रेत सिविल सेवा/सिविल पद के क्रमशः समूह- क, समूह- ख, समूह- ग और समूह- घ के लिये निर्देश से होगा ।

भाग III
नियुक्ति प्राधिकार

7. सिविल सेवाओं में समूह-क एवं समूह-ख के पदों पर नियुक्ति ।-सिविल सेवा के समूह- क एवं समूह- ख के पदों पर सभी नियुक्तियाँ सरकार द्वारा की जायेंगी;

परन्तु सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा और उन शर्तों के अध्यधीन जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसी नियुक्तियाँ करने की शक्ति किसी अन्य प्राधिकार को प्रदत्त कर सकेगी ।

8. दूसरी सेवाओं और पदों पर नियुक्तियाँ ।- समूह- ग और समूह- घ के पदों पर सभी नियुक्तियाँ, सरकार के सामान्य या विशेष आदेश से इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट प्राधिकारों द्वारा की जायेगी ।

भाग- IV
निलम्बन

निलम्बन का आदेश ।-(1) नियुक्ति प्राधिकार या ऐसा कोई भी प्राधिकार जिसका नियुक्ति प्राधिकार अधीनस्थ हो या अनुशासनिक प्राधिकार या सरकार

के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकार किसी सरकारी सेवक को निलंबित कर सकेगा जब-

(क) सरकारी सेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चलायी जानी हो या लंबित हो, अथवा

(ख) उपर्युक्त प्राधिकार की राय में सरकारी सेवक राज्य की सुरक्षा-हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाले कियाकलाप में संलिप्त हो, अथवा

(ग) सरकारी सेवक के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला अन्वेषण, जांच या विचारण के अधीन हो और सक्षम प्राधिकार का यह समाधान हो गया हो कि लोकहित में सरकारी सेवक को निलंबित करना समीचीन है ।

(2) कोई सरकारी सेवक नियुक्ति प्राधिकार के किसी आदेश द्वारा निम्नलिखित तिथि के प्रभाव से निलंबित किया गया समझा जायेगा जब-

(क) उसके कारा-निरोध की तिथि से, यदि वह या तो आपराधिक आरोप पर या अन्यथा अड़तालिस घंटों से अधिक अवधि के लिये, अभिरक्षा में निरूद्ध किया गया हो;

(ख) उसकी दोषसिद्धि की तिथि से, यदि किसी अपराध के लिये दोषसिद्धि की दशा में उसे अड़तालिस घंटों से अधिक की कारावास की अवधि से दंडादिष्ट किया गया हो और ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप उसे तत्काल सेवाच्युत या बर्खास्त या अनिवार्य सेवानिवृत्त नहीं किया गया हो ।

व्याख्या-इस उप-नियम के खंड (ख) में निर्दिष्ट अड़तालिस घंटों की अवधि की संगणना दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास प्रारम्भ होने की तिथि से की जायेगी और इस प्रयोजनार्थ कारावास की अन्तर्विरामी कालावधियाँ, यदि कोई हो, परिगणित की जायेंगी ।

(3) (i) उप नियम (2) के अधीन कारावास अवधि के बाद सरकारी सेवक द्वारा योगदान किये जाने पर निलंबित समझे जाने की अवधि समाप्त समझी जायेगी और योगदान स्वीकार किया जायेगा ।

(ii) यदि उप नियम (1) (क) या (ख) या (ग) के अधीन सरकारी सेवक को पुनः निलंबित करने का कोई निर्णय लिया जाता है तो ऐसी कार्रवाई उपर्युक्त खंड (i) के अनुसार योगदान स्वीकार करने के बाद ही एवं अलग से आदेश निर्गत कर की जा सकेगी ।

(4) जहाँ निलम्बनाधीन सरकारी सेवक पर सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अधिरोपित शास्ति इस नियमावली के अधीन अपील या पुनरीक्षण में निरस्त कर दी जाती है और मामले को अगली जॉच या कार्रवाई या कोई अन्य निदेश के साथ विप्रेषित कर दी जाती है, वहां उसके निलम्बन का आदेश सेवाच्युति, बर्खास्तगी

या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तिथि को एवं लगातार प्रवृत्त समझा जायेगा तथा अगले आदेश तक प्रवृत्त रहेगा ।

(5) जहाँ सरकारी सेवक पर सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अधिरोपित शास्ति किसी न्यायालय के किसी आदेश द्वारा निरस्त कर दी जाती है या के परिणामस्वरूप शून्य घोषित होती हैं या शून्य हो जाती है और अनुशासनिक प्राधिकार, मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात्, ऐसी परिस्थिति में यदि न्यायालय ने मामले के गुणावगुण पर विचार किये बिना मात्र तकनीकी आधार पर आदेश पारित किया हो, सरकारी सेवक के विरूद्ध ऐसे आरोपों, जिन पर सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्त की शास्ति मूलतः अधिरोपित की गयी थी, की पुनः जांच करने का विनिश्चय करता है वहां सरकारी सेवक सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तिथि से नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निलंबित किया हुआ समझा जायेगा और अगले आदेश तक निलम्बनाधीन रहेगा ।

(6) (क) इस नियम के अधीन किया गया अथवा किया हुआ समझा गया कोई निलम्बनादेश तबतक प्रवृत्त रहेगा जबतक सक्षम प्राधिकार द्वारा उसे संशोधित न किया जाय या वापस न लिया जाय ।

(ख) जहाँ कोई सरकारी सेवक निलंबित किया गया हो अथवा निलंबित किया गया समझा गया हो (चाहे किसी अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में या अन्यथा) तथा उस निलम्बन के दौरान उसके विरूद्ध कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी हो तब उसे निलंबित करने हेतु सक्षम प्राधिकार, ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा अभिलेखित किये जायेंगे, यह निदेश दे सकेगा कि सरकारी सेवक का ऐसी कार्यवाहियों में से सभी या किसी की समाप्ति तक निलंबित रहेगा ।

(ग) इस नियम के अधीन किया गया या किया हुआ समझा गया कोई निलम्बनादेश किसी भी समय, उसी प्राधिकार द्वारा संशोधित किया जा सकेगा या वापस लिया जा सकेगा जिसने या जिसके अधीनस्थ प्राधिकार ने ऐसा आदेश पारित किया हो ।

(7) निलंबनादेश के निर्गत होने की तिथि से तीन माह के भीतर आरोप पत्र गठित कर दिया जायेगा जिसके नहीं होने पर तीन माह की समाप्ति पर निलंबनादेश वापस लिया जायेगा जबतक कि निलंबनादेश निर्गत करनेवाला प्राधिकार आरोप-पत्र के गठित किये जाने में विलम्ब के कारणों को अभिलेखित करते हुए अगले चार माह तक के लिये निलंबन को नवीकृत करने संबंधी आदेश पारित न करे:

परन्तु यह कि विस्तारित चार माह की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यदि आरोप पत्र गठित नहीं किया जाता है तो निलंबनादेश स्वतः वापस ले लिया गया समझा जायेगा ।

10. निलम्बन के दौरान जीवन निर्वाह भत्ता ।-(1) निलम्बनाधीन या निलम्बनाधीन समझा गया कोई सरकारी सेवक अर्द्ध औसत वेतन के बराबर जीवन-निर्वाह-भत्ता और इसके अतिरिक्त ऐसे अर्द्ध वेतन पर अनुमान्य मंहगाई भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगाः

परन्तु यह कि जहॉ निलम्बन की अवधि बारह माह से अधिक हो गयी हो वहां वह प्राधिकार, जिसने ऐसा निलम्बनादेश पारित किया हो, प्रथम बारह माह के पश्चातवर्त्ती किसी अवधि के लिये जीवन-निर्वाह-भत्ता की रकम में निम्नलिखित रूप में परिवर्त्तन करने में सक्षम होगाः-

(i) यदि उक्त प्राधिकार की राय में निलम्बन की अवधि लम्बे समय तक रही हो जिसके लिये, अभिलेखित किये जानेवाले कारणों से, सरकारी सेवक उत्तरदायी नहीं हो तो जीवन-निर्वाह भत्ता की रकम एक ऐसी समुचित रकम द्वारा बढ़ायी जा सकेगी जो प्रथम बारह महीने की अवधि के दौरान अनुमान्य जीवन-निर्वाह भत्ता के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(ii) यदि उक्त प्राधिकार की राय में निलम्बन की अवधि लम्बे समय तक रही हो जिसके लिये, अभिलेखित किये जानेवाले ऐसे कारणों से, सरकारी सेवक उत्तरदायी हो तो जीवन-निर्वाह भत्ता की रकम एक ऐसी समुचित रकम तक घटायी जा सकेगी जो प्रथम बारह महीने की अवधि के दौरान अनुमान्य जीवन-निर्वाह-भत्ता के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(iii) मंहगाई भत्ता की दर इस नियम के उप-खंड (i) या उप-खंड (ii) के अधीन, यथास्थिति, बढ़ी हुई अथवा घटी हुई अनुमान्य जीवन-निर्वाह-भत्ता की दरों पर आधारित होगीः

परन्तु यह कि सरकारी सेवक केवल उसी अवधि के लिये जीवन-निर्वाह-भत्ता पाने का हकदार होगा जब निलम्बन अवधि के दौरान वह मुख्यालय में वास्तव में उपस्थित रहा हो । उससे ऐसे सरकारी सेवकों के लिये बनायी गयी उपस्थिति-पंजी में अपनी उपस्थिति दर्ज करने की अपेक्षा की जायेगी;

परन्तु यह और कि चूँकि कारावास अवधि के लिए मुख्यालय का निर्धारण नहीं हो सकता है, अतः कारावास अवधि के लिए ऐसी उपस्थिति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(2) कोई सरकारी सेवक उप-नियम (1) के अधीन तबतक भुगतान पाने का हकदार नहीं होगा जबतक कि वह इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करे कि वह किसी अन्य नियोजन, कारोबार, पेशा अथवा व्यवसाय में नहीं लगा हुआ है ।

(3) जहॉ निलंबन नियम-9 के उप-नियम (2) के अधीन हो वहॉ भी जीवन-निर्वाह भत्ता उपर्युक्त उप-नियम (1) के अनुसार अनुमान्य होगा । सरकारी सेवक के कारावास में रहने के कारण निलंबित

समझे जाने के फलस्वरूप जीवन-निर्वाह भत्ता का भुगतान उसके प्राधिकार-पत्र के आधार पर उसके नामांकित आश्रित को किया जा सकेगा । ऐसे जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान उसी स्थापना द्वारा किया जायेगा जहाँ ऐसा सरकारी सेवक कारावास में जाते समय पदस्थापित रहा हो ।

(4) अनुशासनिक प्राधिकार जीवन-निर्वाह-भत्ता मंजूर करने तथा उसे बढ़ाने या घटाने के लिये सक्षम प्राधिकार होगा ।

11. निलम्बन के पश्चात् पुनःस्थापित किये जाने पर सेवा का निरूपण तथा वेतन-भत्ता की अनुमान्यता ।-(1) जब निलम्बनाधीन कोई सरकारी सेवक पुनःस्थापित किया जाता है या इस प्रकार पुनःस्थापित होता यदि निलंबन में रहते हुए उसकी वार्धक्य सेवानिवृत्ति नहीं होती, तो अनुशासनिक प्राधिकार निम्न बातों के संबंध में विचार करेगा और विनिर्दिष्ट आदेश देगाः-

(क) यथास्थिति, पुनःस्थापन होने या वार्धक्य सेवानिवृत्ति तक निलंबन अवधि के लिये सरकारी सेवक को भुगतेय वेतन तथा भत्ता; और

(ख) उक्त अवधि कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी अथवा नहीं ।

(2) इस नियमावली के नियम-10 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी निलंबित सरकारी सेवक के विरूद्ध शुरू की गयी अनुशासनिक या न्यायालीय कार्यवाही पूरी होने के पहले ही उसकी मृत्यु हो गयी हो वहाँ निलंबन की तिथि तथा मृत्यु की तिथि के बीच की अवधि सभी प्रयोजनों के लिये कर्त्तव्य पर मानी जायेगी और उसके परिवार को उस अवधि के लिये पूरे वेतन तथा भत्ता का भुगतान किया जायेगा जिसके लिये वह निलंबित नहीं होने पर हकदार होता । ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन-निर्वाह भत्ता तथा अन्य भत्ते एवं सरकारी बकाया या ऋणों का समायोजन कर लिया जायेगा ।

(3) जहां अनुशासनिक प्राधिकार की राय हो कि निलंबन पूर्णरूपेण अनुचित था तो सरकारी सेवक को, इस नियम के उपनियम (8) के उपबंधों के अधीन, वैसे पूरे वेतन तथा भत्ते का भुगतान किया जायेगा जिसके लिये वह निलंबित नहीं किये जाने पर हकदार होता । ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन-निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्तों का समायोजन कर लिया जायेगाः

परन्तु यह कि जहां ऐसे प्राधिकार की राय हो कि सरकारी सेवक के विरूद्ध संस्थित कार्यवाही के समापन में उन कारणों के चलते विलंब हुआ है जिसके लिये सरकारी सेवक सीधे उत्तरदायी है तो वह सरकारी सेवक को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा और उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करेगा । तत्पश्चात्, वह लिखित रूप में अभिलेखित किये जानेवाले कारणों से यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे विलम्ब की

अवधि के लिये ऐसे वेतन तथा भत्ते की मात्र उतनी राशि का भुगतान सरकारी सेवक को किया जायेगा जितनी उसके द्वारा निश्चित की जाय ।

(4) इस नियम के उप-नियम (3) के अधीन आनेवाले मामलों में निलंबन की अवधि सभी प्रयोजनों के लिये कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी ।

(5) इस नियम के उप-नियम (2) और (3) के अधीन आनेवाले मामलों से भिन्न मामलों में सरकारी सेवक को इस नियम के उप-नियम (8) तथा (9) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पूरे वेतन तथा भत्ते के उस अनुपात का, जैसा कि अनुशासनिक प्राधिकार विनिश्चित करे, भुगतान किया जायेगा जिसके लिये वह तब हकदार होता जब उसे निलंबित नहीं किया गया होता । अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा ऐसा विनिश्चयन सरकारी सेवक को प्रस्तावित राशि की नोटिस देने के पश्चात् और सरकारी सेवक द्वारा, उक्त नोटिस के तामिल होने की तिथि से साठ दिनों के अन्दर, उस संबंध में उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद दिया जायेगा ।

(6) जहां अनुशासनिक कार्यवाही या किसी न्यायालय में कार्यवाही के अंतिम निर्णय के लंबित रहते हुए निलंबन वापस लिया जाता है वहां सरकारी सेवक के विरूद्ध कार्यवाही पूरी होने के पहले इस नियम के उप-नियम (1) के अधीन पारित किसी आदेश की, अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा स्वप्रेरणा से कार्यवाही की समाप्ति के पश्चात् समीक्षा की जायेगी और उसके द्वारा यथास्थिति, उप-नियम (3) या उप-नियम (5) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार एक आदेश पारित किया जायेगा ।

(7) इस नियम के उप-नियम (5) के अधीन आनेवाले मामले में निलंबन अवधि तबतक कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि नहीं मानी जायेगी जबतक कि अनुशासनिक प्राधिकार विनिर्दिष्ट रूप से यह निदेश न दे कि यह अवधि किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये बितायी गयी अवधि होगी ।

(8) इस नियम के उप-नियम (2), उप-नियम (3) या उप-नियम (5) के अधीन भत्तों का भुगतान उन अन्य सभी शर्त्तों के अधीन होगा जिनके अधीन ऐसे भत्ते अनुमान्य हों ।

(9) इस नियम के उप-नियम (3) के परन्तुक या उप-नियम (5) के उपबंधों के अधीन निश्चित किये गये पूर्ण वेतन एवं भत्ते का अनुपात न तो पूर्ण वेतन एवं भत्ते के बराबर होगा और न ही जीवन-निर्वाह-भत्ता से कम ।

12. अपील के परिणामस्वरूप सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनःस्थापन पर सेवा का निरूपण एवं वेतन एवं भत्ते की अनुमान्यता ।-(1) जब किसी सरकारी सेवक, जिसे सेवाच्युत, बर्खास्त या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है, को अपील के परिणामस्वरूप

पुनःस्थापित किया जाता है अथवा इस प्रकार पुनःस्थापित होता यदि निलंबन में रहते हुए उसकी वार्धक्य सेवानिवृत्ति नहीं हुई होती तो अनुशासनिक प्राधिकार -

(क) यथास्थिति सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवा-निवृत्ति से पूर्व निलंबन की अवधि सहित सरकारी सेवक की कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिये उसे भुगतान किये जानेवाले वेतन एवं भत्ते, और

(ख) उक्त अवधि को कर्त्तव्य पर वितायी गयी अवधि मानी जायेगी अथवा नहीं,

- के संबंध में विचार करेगा और विशिष्ट आदेश पारित करेगा ।

(2) इस नियम के उप-नियम (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए सरकारी सेवक को निम्नलिखित मामलों में पूर्ण वेतन एवं भत्ते का भुगतान किया जायेगा जो उसे अनुमान्य होता यदि वह यथास्थिति ऐसी सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व सेवाच्युत, बर्खास्त या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं किया जाता-

(i) जहां अनुशासनिक प्राधिकार का यह समाधान हो जाय कि सरकारी सेवक, जिसे सेवाच्युत, बर्खास्त या अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया गया था, को पूर्णरूप से दोषमुक्त कर दिया गया हो, अथवा

(ii) जहां इस नियमावली के अनुपालन नहीं होने के आधार-मात्र पर अपीलीय प्राधिकार द्वारा सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवा-निवृत्ति संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया गया हो और आगे कोई जांच किया जाना प्रस्तावित नहीं हो:

परन्तु यह कि जहां ऐसे प्राधिकार का यह समाधान हो जाय कि सरकारी सेवक के विरूद्ध संस्थित कार्यवाही के समापन में विलम्ब के लिये सरकारी सेवक ही सीधे तौर पर जबावदेह है तो वह उसे अभ्यावेदन देने एवं सुनवाई का अवसर देकर और उसके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार कर, कारणों को अभिलेखित करते हुए, निदेश दे सकेगा कि उप-नियम (7) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए सरकारी सेवक को ऐसे विलम्ब की अवधि के लिये ऐसे वेतन एवं भत्ते के मात्र ऐसे अनुपात का भुगतान किया जायेगा, जो उस प्राधिकार द्वारा निश्चित की जाय ।

(3) इस नियम के उप-नियम (2) के अधीन आनेवाले किसी मामले में, यथास्थिति सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व निलम्बन की अवधि सहित कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि सभी प्रयोजनों के लिये कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी ।

(4) इस नियम के उप-नियम (2) द्वारा आच्छादित मामलों से भिन्न मामलों में, उप-नियम (6) एवं (7) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकारी सेवक को पूर्ण वेतन एवं भत्ते के ऐसे अनुपात का, जो

अनुशासनिक प्राधिकार विनिश्चित करे, भुगतान किया जायेगा जो उसे तब अनुमान्य होता जब वह यथास्थिति, ऐसी सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व सेवाच्युत, बर्खास्त या अनिवार्य सेवानिवृत्त अथवा निलंबित नहीं किया जाता । भुगतान के अनुपात का ऐसा विनिश्चयन अनुशासनिक प्राधिकार सरकारी सेवक को प्रस्तावित अनुपात का नोटिस देकर एवं सरकारी सेवक को तामिल की गयी नोटिस की तिथि से साठ दिनों के अन्दर प्राप्त अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार कर करेगा ।

(5) इस नियम के उप-नियम (4) के अधीन आनेवाले मामलों में, यथास्थिति, सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व उसके निलंबन की अवधि सहित कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि कर्त्तव्य पर वितायी गयी अवधि तबतक नहीं समझी जायगी जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकार विशेषरूप से यह निदेश नहीं दे कि किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु इसे वैसी अवधि समझी जाय:

परन्तु यह कि यदि कोई सरकारी सेवक ऐसा अभ्यावेदन दे, तो ऐसा प्राधिकार विचारण के बाद यह निदेश दे सकेगा कि यथास्थिति, उसकी सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व निलंबन की अवधि सहित अनुपस्थिति की अवधि को सरकारी सेवक को देय और अनुमान्य किसी प्रकार की छुट्टी के रूप में परिवर्तित किया जायेगा ।

(6) उप-नियम (2) या उप-नियम (4) के अधीन भत्तों का भुगतान उन अन्य सभी शर्त्तों के अधीन होगा जिनके अन्तर्गत भत्ते अनुमान्य हों ।

(7) उप-नियम (2) के परन्तुक या उप-नियम (4) के अधीन विनिश्चित पूरे वेतन एवं भत्ते का अनुपात, यथास्थिति, न तो पूर्ण वेतन एवं भत्ते के बराबर होगा और न ही नियम-10 के अधीन अनुमान्य जीवन-निर्वाह-भत्ता एवं अन्य-भत्तों से कम ।

(8) पुनर्स्थापन होने पर इस नियम के अधीन किसी सरकारी सेवक को किसी भी प्रकार का भुगतान, यथास्थिति, बर्खास्तगी, सेवाच्युति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि और पुनर्स्थापन की तिथि के बीच की अवधि के दौरान किसी नियोजन के माध्यम से उसके द्वारा अर्जित रकम, यदि कोई हो, से समंजन के अधीन रहते हुए किया जायेगा । जहाँ इस नियम के अधीन अनुमान्य वेतन एवं भत्ते अन्यत्र ऐसे नियोजन के दौरान अर्जित रकम के बराबर या उससे कम होंगे वहाँ सरकारी सेवक को कुछ भी भुगतान नहीं किया जायेगा ।

13. जहां सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति किसी न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाय वहां पुनःस्थापन, सेवा का निरूपण एवं वेतन और भत्ते की अनुमान्यता ।-(1) जहां किसी सरकारी सेवक की सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृति किसी न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया

जाय और ऐसा सरकारी सेवक, आगे किसी और जांच किये बिना पुनःस्थापित कर दिया जाय, वहां कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि विनियमित कर दी जायेगी तथा न्यायालय के निदेशों, यदि कोई हो, के अध्यधीन, इस नियम के उप-नियम (2) या (3) के उपबंधों के अनुसार सरकारी सेवक को वेतन और भत्ते का भुगतान किया जायेगा ।

(2) (i) इस नियम के उप-नियम (3) द्वारा आच्छादित मामलों से भिन्न मामलों में, सरकारी सेवक को पूरे वेतन और भत्ते के उस अनुपात का भुगतान किया जायेगा जो उसे, यथास्थिति, सेवाच्युत नहीं किये जाने, बर्खास्त नहीं किये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत नहीं किये जाने अथवा ऐसी सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृति के पूर्व निलंबित नहीं किये जाने पर अनुमान्य होता, और जैसा कि अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित किया जाय । भुगतान के अनुपात का ऐसा विनिश्चय अनुशासनिक प्राधिकार प्रस्तावित राशि के बारे में सरकारी सेवक को नोटिस देकर और सरकारी सेवक को उपर्युक्त नोटिस तामिल किये जाने की तिथि से साठ दिनों के भीतर इस संबंध में उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, करेगाः

परन्तु यह कि सरकारी सेवक को इस उप-नियम के अधीन कोई भुगतान, यथास्थिति, न तो पूर्ण वेतन एवं भत्ते के बराबर होगा और न ही नियम-10 के अधीन अनुमान्य जीवन-निर्वाह-भत्ता एवं अन्य भत्तों से कम ।

(ii) सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृति के पूर्व निलंबन की अवधि सहित यथास्थिति, सेवाच्यूति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि और न्यायालय के निर्णय की तिथि के बीच की अवधि नियम-12 के उप-नियम (5) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विनियमित की जायेगी ।

(3) जहॉ सरकारी सेवक की सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति किसी न्यायालय द्वारा मामले के गुणागुण पर निरस्त की गयी हो, अथवा जहॉ सरकारी सेवक की सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृति किसी न्यायालय द्वारा इस नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं होने मात्र के आधार पर निरस्त की गयी हो और आगे कोई जांच किया जाना प्रस्तावित न हो, वहां, यथास्थिति सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि तथा पुनःस्थापन की तिथि के बीच की अवधि सभी प्रयोजनों के लिये कर्त्तव्य पर मानी जायेगी । फलस्वरूप उस अवधि के लिये सरकारी सेवक को पूरे वेतन एवं भत्ते का भुगतान किया जायेगा, जो उसे, यथास्थिति, पदच्युत नहीं किये जाने, हटाये नहीं जाने या अनिवार्य सेवानिवृत नहीं किये जाने अथवा ऐसी सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृति के पूर्व निलंबित नहीं किये जाने पर अनुमान्य होता ।

(4) इस नियम के उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के अधीन भत्तों का भुगतान उन सभी अन्य शर्त्तों के अधीन होगा जिनके अन्तर्गत ऐसे भत्ते अनुमान्य हों ।

(5) पुनर्स्थापन होने पर, सरकारी सेवक को इस नियम के अधीन किसी राशि का भुगतान सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृति और सेवा में पुनर्स्थापन की तिथि के बीच की अवधि में, किसी नियोजन के माध्यम से उसके द्वारा अर्जित राशि, यदि कोई हो, के समायोजन के अधीन रहते हुए होगा । जहाँ इस नियम के अधीन अनुमान्य वेतन और भत्ते अन्यत्र ऐसे नियोजन के दौरान अर्जित राशि के बराबर या उससे कम हो वहां सरकारी सेवक को कुछ भी भुगतान नहीं किया जायेगा ।

भाग- V

शास्तियॉ और अनुशासनिक प्राधिकार

14. लघु एवं वृहत शास्तियॉ ।-समुचित और यथेष्ट कारणों से तथा इसमें इसके बाद यथाउपबंधित, निम्नलिखित शास्तियाँ, सरकारी सेवक पर अधिरोपित की जा सकेंगी, यथाः-

लघु शास्तियॉ-

(i) निन्दन;

(ii) प्रोन्नति की रोक;

(iii) लापरवाही या आदेशोल्लंघन के कारण सरकार को उसके द्वारा पहुंचायी गयी किसी वित्तीय हानि की उसके वेतन से पूरी या आंशिक वसूली;

(iv) तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिये, असंचयात्मक प्रभाव से कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति;

(v) वेतनवृद्धियों की रोक;

वृहत शास्तियॉ-

(vi) इस नियम के खंड (iv) में यथा उपबंधित के सिवाय, कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये अवनति, इन निदेशों के साथ भी कि ऐसी अवनति की अवधि के दौरान सरकारी सेवक वेतनवृद्धियॉ अर्जित करेगा या नहीं तथा ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद उक्त अवनति का प्रभाव उसकी भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित रखने पर होगा या नहीं;

(vii) निम्नतर कालमान वेतन, कोटि, पद या सेवा में अवनति, जो सामान्यतया सरकारी सेवक को उस कालमान वेतन, कोटि, पद या सेवा में (जिससे वह अवनत किया गया हो) प्रोन्नति

के लिये उस कोटि या पद या सेवा में (जिससे सरकारी सेवक अवनत किया गया हो) प्रत्यावर्तन की शर्त्तों तथा उस कोटि, पद या सेवा में ऐसे प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप उसकी वरीयता एवं वेतन के संबंध में दिये जानेवाले अगले निदेशों के साथ या के बिना, अवरोधक होगा;

(viii) अनिवार्य सेवानिवृति;

(ix) सेवाच्यूति, जो सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिये निरर्हता नहीं होगी;

(x) सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिये निरर्हता होगी:

परन्तु यह कि ऐसे हरेक मामले में जिसमें किसी पदीय कार्य करने या से प्रविरत करने के लिये हेतु या पुरस्कार के रूप में किसी व्यक्ति से, वैध पारिश्रमिक से भिन्न, कोई परितोषण स्वीकार किया जाना सिद्ध हो जाय, खंड (ix) या खंड (x) में उल्लेखित शास्ति अधिरोपित की जायेगी:

परन्तु यह भी कि किसी आपवादिक मामले में तथा विशेष कारणों से, जिन्हें अभिलेखित किया जायेगा, कोई अन्य शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी ।

स्पष्टीकरण- इस नियम के अर्थान्तर्गत निम्नलिखित को शास्ति नहीं माना जायेगा, यथा:-

(i) किसी सरकारी सेवक की, जिस सेवा में वह है या जो पद वह धारण करता है उसे शासित करनेवाले नियमों या आदेशों या उसकी नियुक्ति के निर्बंधनों के अनुसार किसी विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने पर, वेतन-वृद्धि रोक रखना;

(ii) किसी सरकारी सेवक की, चाहे वह मौलिक या स्थानापन्न हैसियत में हो, किसी सेवा, कोटि या पद (जिसके लिये वह अर्हक हो) के लिये उसके मामले पर विचारोपरान्त, प्रोन्नति रोक देना;

(iii) किसी सरकारी सेवक को, चाहे वह मौलिक या स्थानापन्न हैसियत में हो, किसी सेवा, कोटि या पद (जिसके लिये वह अर्हक हो) के लिये उसके मामले पर विचारोपरान्त, प्रोन्नति नहीं मिलना;

(iv) उच्चतर सेवा, कोटि या पद पर स्थानापन्न रूप में कार्यरत किसी सरकारी सेवक का, उसके आचरण से अनजुड़े किसी प्रशासनिक आधार पर निम्नतर सेवा, कोटि या पद पर प्रतिवर्त्तन;

(v) परिवीक्षा पर किसी अन्य सेवा, कोटि या पद पर नियुक्त किसी सरकारी सेवक का, उसकी नियुक्ति के निर्बंधनों और शर्त्तों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करनेवाले नियमों एवं

आदेशों के अनुसार, परिवीक्षा अवधि की समाप्ति या उसके दौरान उसकी स्थायी सेवा, कोटि या पद पर प्रतिवर्त्तन;

(vi) किसी सरकारी सेवक की सेवा का, जिसकी सेवाएँ किसी राज्य सरकार से या किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन के किसी प्राधिकार से उधार ली गयी हो, उस राज्य सरकार या उस प्राधिकार में प्रतिस्थापन, जिससे ऐसे सरकारी सेवक की सेवा उधार ली गयी थी;

(vii) अधिवार्षिकी या सेवानिवृति से संबंधित बिहार सेवा संहिता के नियम-74 के उपबंधों के अनुसार किसी सरकारी सेवक की अनिवार्य सेवानिवृति;

(viii) सेवा- समाप्ति-

(क) परिवीक्षा पर नियुक्त किसी सरकारी सेवक की, उसकी परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, उसकी नियुक्ति के निर्बंधनों और शर्त्तों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करनेवाले नियमों एवं आदेशों के अनुसार, अथवा

(ख) करार के अधीन नियोजित किसी सरकारी सेवक की, ऐसे करार के निर्बंधनों और शर्त्तों के अनुसार ।

15. अनुशासनिक प्राधिकार ।-(1) सरकार किसी सरकारी सेवक पर नियम-14 में विनिर्दिष्ट कोई भी शास्ति अधिरोपित कर सकेगी ।

(2) उप-नियम (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी सरकारी सेवक पर, नियुक्ति प्राधिकार या कोई प्राधिकार जिसके अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकार हो द्वारा अथवा सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस हेतु शक्ति प्रदत्त किसी अन्य प्राधिकार द्वारा नियम 14 में विनिर्दिष्ट कोई भी शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी ।

16. कार्यवाही संस्थित करने का प्राधिकार ।-(1) सरकार या नियुक्ति प्राधिकार या कोई प्राधिकार जिसके अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकार हो, या सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा शक्ति प्रदत्त कोई अन्य प्राधिकार -

(क) किसी सरकारी सेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर सकेगा;

(ख) अनुशासनिक प्राधिकार को निदेश दे सकेगा कि किसी सरकारी सेवक, जिस पर वह अनुशासनिक प्राधिकार इस नियमावली के अधीन नियम-14 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई अधिरोपित करने में सक्षम हो, के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करे ।

(2) नियम-14 के खंड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई अधिरोपित करने के लिये इस नियमावली के अधीन सक्षम कोई अनुशासनिक प्राधिकार, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा अनुशासनिक प्राधिकार नियम-14 के खंड (vi) से (x) के अधीन शास्तियों में से कोई अधिरोपित करने के लिये इस नियमावली के अधीन सक्षम नहीं है, नियम 14 के खंड (vi) से (x) में विनिर्दिष्ट

शास्तियों में से कोई अधिरोपित करने हेतु किसी सरकारी सेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर सकेगा ।

भाग - VI

शास्तियॉ अधिरोपित करने हेतु प्रकिया

17. वृहत शास्तियॉ अधिरोपित करने हेतु प्रकिया ।-(1)जहां तक हो सके इस नियमावली में उपबंधित रीति से जांच किये बिना नियम-14 के खंड (vi) से (x) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई अधिरोपित करने हेतु आदेश नहीं किया जायेगा ।

(2) जहां कहीं अनुशासनिक प्राधिकार की राय हो कि किसी सरकारी सेवक के विरूद्ध अवचार या कदाचार के किसी लांछन की सचाई के बारे में जांच करने के आधार हैं वहां वह स्वयं इसकी जॉच कर सकेगा अथवा उसकी सचाई के बारे में जांच के लिये इस नियमावली के अधीन कोई प्राधिकार नियुक्त कर सकेगा ।

स्पष्टीकरणः- जहॉ अनुशासनिक प्राधिकार स्वयं जांच करता हो वहां जांच प्राधिकार से संबंधित इस नियम के उप-नियम (7) से उप-नियम (20) में तथा उप-नियम (22) में जॉच प्राधिकार के प्रति कोई निर्देश अनुशासनिक प्राधिकार के प्रति निर्देश समझा जायेगा ।

(3) जहां इस नियम के अधीन सरकारी सेवक के विरूद्ध जांच करना प्रस्तावित हो वहां अनुशासनिक प्राधिकार-

(i) अवचार या कदाचार के लांछनों के सार को एक सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट आरोप के मद के रूप में लेखबद्ध करेगा या लेखबद्ध करवायेगा;

(ii) आरोप के प्रत्येक मद के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन लेखबद्ध करेगा या लेखबद्ध करवायेगा, जिसमें -

(क) सरकारी सेवक द्वारा की गयी कोई स्वीकृति या संस्वीकृति सहित सभी सुसंगत तथ्यों का एक अभिकथन, और

(ख) उन दस्तावेजों की एक सूची तथा उन साक्षियों की एक सूची, जिनके द्वारा आरोप की मदों को सिद्ध करना प्रस्तावित हो,

- अंतर्विष्ट रहेंगी ।

(4) अनुशासनिक प्राधिकार सरकारी सेवक को आरोप की मदों की एक प्रति, अवचार या कदाचार के लांछनों के उस अभिकथन तथा उन दस्तावेजों और साक्षियों की सूची, जिनके द्वारा आरोप की मदों का सिद्ध होना प्रस्तावित हो, देगा या दिलवायेगा तथा सरकारी सेवक से अपेक्षा करेगा कि

यथाविनिर्दिष्ट समय के भीतर अपने बचाव का एक लिखित अभिकथन प्रस्तुत करे और यह अभिकथित करे कि क्या वह चाहता है कि स्वयं उसे व्यक्तिशः सुना जाय ।

(5) (क) बचाव का लिखित कथन प्राप्त होने पर अनुशासनिक प्राधिकार आरोप की उन मदों के बारे में जांच-पड़ताल स्वयं कर सकेगा जिन्हें स्वीकार न किया गया हो, अथवा यदि वह इस नियम के उप-नियम (2) के अधीन इस प्रयोजनार्थ जांच प्राधिकार नियुक्त करना आवश्यक समझे तो वह वैसा कर सकेगा और जहां सरकारी सेवक द्वारा अपने बचाव के लिखित कथन में सभी आरोप के मदों को स्वीकार कर लिया गया हो वहां अनुशासनिक प्राधिकार ऐसे साक्ष्य लेते हुए जिसे वह उचित समझे, प्रत्येक आरोप पर अपना निष्कर्ष अभिलेखित करेगा तथा नियम-18 में दी गयी रीति से कार्रवाई करेगा ।

(ख) यदि सरकारी सेवक द्वारा बचाव का कोई लिखित अभिकथन प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो अनुशासनिक प्राधिकार आरोप की मदों की जांच-पड़ताल स्वयं कर सकेगा अथवा यदि वह इस नियम के उप-नियम (2) के अधीन इस प्रयोजनार्थ जांच प्राधिकार की नियुक्ति करना आवश्यक समझे तो वह वैसा कर सकेगा ।

(ग) जहां अनुशासनिक प्राधिकार आरोप के किसी मद के बारे में जांच-पड़ताल स्वयं करे अथवा ऐसे आरोप के बारे में जांच-पड़ताल करने के लिये जाच प्राधिकार की नियुक्ति करे, वहाँ वह आरोप की मदों के समर्थन में मामला को उसकी ओर से प्रस्तुत करने के लिये, एक आदेश द्वारा, किसी सरकारी सेवक को या किसी विधि व्यवसायी को 'प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी' के रूप में नियुक्त कर सकेगा ।

(6) अनुशासनिक प्राधिकार, जहां वह जांच प्राधिकार न हो, जांच प्राधिकार को निम्नलिखित अभिलेख अग्रसारित करेगाः-

(i) आरोप की मदों तथा अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की एक प्रति;

(ii) सरकारी सेवक द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन, यदि कोई हो, की एक प्रति;

(iii) इस नियम के उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट साक्षियों, यदि कोई हो, के अभिकथन की एक प्रति;

(iv) इस नियम के उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों को सरकारी सेवक को उपलब्ध कराया जाना साबित करनेवाला साक्ष्य; और

(v) 'प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी' की नियुक्ति संबंधी आदेश की एक प्रति ।

(7) सरकारी सेवक, आरोप की मदों तथा अवचार या कदाचार के लांछनों का विवरण उसके द्वारा प्राप्त किये जाने की तिथि से दस कार्य दिवसों के भीतर, उस तिथि और उस समय पर, जो जांच प्राधिकार इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अथवा जांच प्राधिकार द्वारा

यथाविनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त दस दिनों से अनधिक समय के भीतर, जांच प्राधिकार के समक्ष स्वयं उपस्थित होगा ।

(8) (क) सरकारी सेवक, अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करने के लिये, अपने मुख्यालय में या जहाँ जांच की जा रही हो उस स्थान पर, किसी कार्यालय में पदस्थापित अन्य सरकारी सेवक की सहायता ले सकेगा:

परन्तु यह कि वह इस प्रयोजनार्थ किसी विधि व्यवसायी को तब तक नहीं रख सकेगा जबतक कि अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा नियुक्त प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कोई विधि व्यवसायी न हो, अथवा मामले की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, अनुशासनिक प्राधिकार ऐसी अनुमति न दे:

परन्तु यह भी कि यदि अनुशासनिक प्राधिकार, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अभिलेखित कारणों से, ऐसा करने की अनुमति दे तो सरकारी सेवक किसी अन्य स्थान पर पदस्थापित किसी अन्य सरकारी सेवक की सहायता ले सकेगा:

परन्तु यह और कि सरकारी सेवक किसी ऐसे अन्य सरकारी सेवक की सहायता नहीं ले सकेगा जिसके पास ऐसे तीन लम्बित अनुशासनिक मामले हो जिनमें उसे सहायता देनी हो ।

(ख) सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन सरकारी सेवक अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करने के लिये किसी सेवा- निवृत सरकारी सेवक की सहायता ले सकेगा ।

(9) यदि सरकारी सेवक, जिसने अपने बचाव के लिखित अभिकथन में आरोप के किसी मद को स्वीकार न किया हो या बचाव में कोई लिखित अभिकथन प्रस्तुत न किया हो, जांच प्राधिकार के समक्ष उपस्थित होता है तो वह प्राधिकार उससे पूछेगा कि वह दोषी है या नहीं अथवा अपने बचाव के लिये उसे कुछ कहना है या नहीं और यदि वह आरोप के किसी मद का दोषी होने का अभिवचन करता हो तो जांच प्राधिकार उस अभिवचन को अभिलेखित करेगा, अभिलेख पर हस्ताक्षर करेगा तथा उस पर सरकारी सेवक से हस्ताक्षर करा लेगा ।

(10) आरोप के जिन मदों के संबंध में सरकारी सेवक ने दोषी होने का अभिवचन किया हो जांच प्रधिकार उन दोषों पर अपना निष्कर्ष वापस कर देगा ।

(11) यदि सरकारी सेवक, विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित होने में विफल हो अथवा अभिवचन से इनकार करता हो या अभिवचन नहीं करता हो, तो जांच प्राधिकार, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी से अपेक्षा करेगा कि वह उन साक्ष्यों को प्रस्तुत करे जिनके द्वारा आरोप की मदों को वह साबित करना चाहता हो और मामले को तीस दिनों से अनधिक की बाद की तिथि के लिये स्थगित कर देगा और इस आशय का आदेश अभिलेखित करेगा कि सरकारी सेवक अपना प्रतिवाद तैयार करने के लिये -

(i) आदेश किये जाने के पांच दिनों के भीतर अथवा जांच प्राधिकार द्वारा यथाअनुमत पांच दिनों से अनधिक अतिरिक्त समय के भीतर

इस नियम के उप-नियम (3) में सूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है;

(ii) अपनी ओर से परीक्षण किये जानेवाले साक्षियों की सूची प्रस्तुत कर सकता है;

टिप्पणी- यदि सरकारी सेवक उप-नियम (3) में निर्दिष्ट सूची में उल्लेखित साक्षियों के बयानो की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का लिखित आवेदन करे तो जांच प्राधिकार यथाशीघ्र उसे ऐसी प्रतियाँ दे देगा ।

(iii) आदेश किये जाने के दस दिनों के भीतर या जांच प्राधिकार द्वारा यथाअनुमत अतिरिक्त समय के भीतर ऐसे किसी दस्तावेज की खोज करने या पेश करने की नोटिस दे सकेगा जो सरकार के पास हो किन्तु इस नियम के उप नियम (3) में विनिर्दिष्ट सूची में उल्लेखित न हो:

परन्तु यह कि सरकारी सेवक खोज किये जानेवाले या सरकार द्वारा पेश किये जानेवाले उसके द्वारा अपेक्षित कागजातों की सुसंगति इंगित करेगा ।

(12) दस्तावेजों को खोजने या पेश करने की नोटिस प्राप्त होने पर जांच प्राधिकार उसे या उसकी प्रतिलिपियाँ एक अध्यपेक्षा के साथ उस प्राधिकार को, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में दस्तावेज रखे गये हों, अध्यपेक्षा में यथाविनिर्दिष्ट तिथि तक दस्तावेज पेश करने हेतु अग्रसारित कर देगा;

परन्तु यह कि जांच प्राधिकार, अपने द्वारा लिखित रूप में अभिलेखित किये जानेवाले कारणों से, ऐसे दस्तावेजों की अध्यपेक्षा को अस्वीकार कर सकेगा जिन्हें वह मामले के लिये अप्रासंगिक समझे ।

(13) इस नियम के उप-नियम (12) में विनिर्दिष्ट अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर, अध्यपेक्षित दस्तावेजों को अभिरक्षा या कब्जा में रखनेवाला हरेक प्राधिकार उन्हें जांच प्राधिकार के समक्ष पेश करेगा:

परन्तु यह कि अध्यपेक्षित दस्तावेजों को अभिरक्षा या कब्जा में रखनेवाले प्राधिकार का, उसके द्वारा लिखित रूप में अभिलेखित किये जानेवाले कारणों से, यदि यह समाधान हो जाय कि ऐसे दस्तावेजों में से सभी या किसी को पेश करना लोकहित या राज्य की सुरक्षा के विरूद्ध होगा तो वह तदनुसार जांच प्राधिकार को सूचित करेगा और इस तरह सूचित किये जाने पर, जांच प्राधिकार, यह जानकारी सरकारी सेवक को संसूचित करेगा तथा ऐसे दस्तावेजों को पेश करने या खोजने के लिये की गयी अध्यपेक्षा को वापस ले लेगा ।

(14) जाँच के लिये नियत तिथि को, मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य जिनके आधार पर आरोप की मदों को साबित करना प्रस्तावित हो, अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत किया जायेगा । साक्षियों का परीक्षण प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा या उसकी ओर से किया जायेगा और सरकारी सेवक द्वारा या उसकी ओर से प्रतिपरीक्षण किया जा सकेगा । प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी उन विन्दुओं पर साक्षियों का पुनर्परीक्षण करने का हकदार होगा जिन पर उनका प्रतिपरीक्षण किया गया हो, किन्तु जांच प्राधिकार की अनुमति के बिना किसी नये विषय पर प्रतिपरीक्षण नहीं

करेगा । जांच प्राधिकार भी साक्षी से ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जिसे वह उचित समझे ।

(15) अनुशासनिक प्राधिकार की ओर से मामला बन्द किये जाने के पूर्व यदि आवश्यक प्रतीत हो तो जॉच प्राधिकार स्वविवेक से प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगा जो सरकारी सेवक को दी गयी सूची में सम्मिलित न हो या स्वयं नये साक्ष्यों की मांग कर सकेगा अथवा किसी साक्षी को पुनः बुलाकर उसका पुनर्परीक्षण कर सकेगा और ऐसी दशा में सरकारी सेवक, यदि मांग करे तो, पेश किये जाने के लिये प्रस्तावित अतिरिक्त साक्ष्यों की सूची लेने तथा ऐसे नये साक्ष्यों को पेश करने के पूर्व पूरे तीन दिनों के लिये जांच का स्थगन लेने का हकदार होगा, जिसमें स्थगन का दिन एवं जिस दिन के लिये जांच स्थगित की गयी हो शामिल नहीं रहेंगे । अभिलेख पर लिये जाने के पूर्व जांच प्राधिकार उन दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अवसर सरकारी सेवक को देगा । जांच प्राधिकार सरकारी सेवक को भी नये साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगा यदि उसकी यह राय बने कि न्याय के हित में ऐसे साक्ष्यों को पेश करना आवश्यक है :

परन्तु यह कि साक्ष्य की अनुपूर्ति के लिये नया साक्ष्य देने या मांगने या किसी साक्षी को फिर से बुलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी । ऐसे साक्ष्य की मांग तभी की जा सकेगी जब मूलतः पेश किये गये साक्ष्य में कोई अन्तर्निहित कमी या दोष हो ।

(16) जब अनुशासनिक प्राधिकार के लिये मामला बन्द हो जाय तब सरकारी सेवक से अपेक्षा की जायेगी कि वह मौखिक या लिखित, जैसा वह पसंद करे, अपने प्रतिवाद का अभिकथन करे । यदि प्रतिवाद मौखिक रूप से किया जाय तो उसे अभिलेखित किया जायेगा और सरकारी सेवक से अभिलेख पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जायगी । दोनो ही दशाओं में प्रतिवाद अभिकथन की प्रति नियुक्त प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, यदि कोई हो, को दी जायेगी ।

(17) उसके बाद सरकारी सेवक की ओर से साक्ष्य पेश किया जायेगा । सरकारी सेवक यदि चाहे तो, अपनी ओर से स्वयं परीक्षण कर सकेगा । उसके वाद, सरकारी सेवक द्वारा पेश किये गये साक्षियों का परीक्षण किया जायेगा और वे अनुशासनिक प्राधिकार के साक्षियों पर लागू उपबंधों के अनुसार जांच प्राधिकार द्वारा परीक्षण किये जाने, प्रतिपरीक्षण किये जाने एवं पुनर्परीक्षण किये जाने के दायी होंगे ।

(18) यदि सरकारी सेवक ने स्वयं परीक्षण न किया हो तो, सरकारी सेवक द्वारा अपना मामला बन्द किये जाने के पश्चात, जांच प्राधिकार, सरकारी सेवक के विरूद्ध साक्ष्य में दिखनेवाली परिस्थितियों के संबंध में उसकी स्थिति स्पष्ट करने के प्रयोजनार्थ उससे सामान्य पूछताछ करेगा ।

(19) साक्ष्यों को पेश किया जाना पूरा हो जाने पर, जांच प्राधिकार, नियुक्त प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, यदि कोई हो, और सरकारी सेवक को सुनेगा या, यदि वह चाहे तो, उन्हें अपने-अपने मामले का लिखित पक्ष कथन दाखिल करने की अनुमति देगा ।

(20) यदि सरकारी सेवक, जिसे आरोप की मदों की एक प्रति दी गयी हो, बचाव का लिखित अभिकथन, इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट तिथि को या उससे पूर्व पेश न करे अथवा जांच प्राधिकार के समक्ष स्वयं उपस्थित न हो अथवा इस नियम के उपबंधों का अनुपालन करने में अन्यथा विफल रहे या अस्वीकार करे तो जांच प्राधिकार एकपक्षीय जांच कर सकेगा ।

(21) (क) जहां नियम-14 के खंड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई अधिरोपित करने के लिये सक्षम कोई अनुशासनिक प्राधिकार [लेकिन नियम-14 के खंड (vi) से (x) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई अधिरोपित करने के लिये सक्षम नहीं] ने स्वयं आरोप की किसी मद की जांच की हो या जांच करवायी हो और अपने निष्कर्ष अथवा अपने द्वारा नियुक्त किसी जांच प्राधिकार के निष्कर्ष पर अपने विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए यदि उसकी यह राय हो कि नियम-14 के खंड(vi) से (x) में विनिर्दिष्ट शास्तियाँ सरकारी सेवक पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह प्राधिकार जांच अभिलेख ऐसे अनुशासनिक प्राधिकार को प्रेषित कर देगा जो नियम-14 के खंड (vi) से (x) में विनिर्दिष्ट शास्तियाँ अधिरोपित करने में सक्षम हो ।

(ख) अनुशासनिक प्राधिकार, जिसे उपर्युक्त प्रकार से अभिलेख प्रेषित किये गये हों, अभिलेख में दिये गये साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई कर सकेगा, अथवा यदि उसकी यह राय हो कि न्याय के हित में साक्षियों में से किसी की आगे और जांच करना आवश्यक है तो वह साक्षियों को बुलाकर उनका परीक्षण, प्रतिपरीक्षण और पुनर्परीक्षण कर सकेगा तथा सरकारी सेवक पर ऐसी शास्तियाँ अधिरोपित कर सकेगा, जैसा वह इस नियमावली के अनुसार उचित समझे ।

(22) जब कभी किसी जांच में संपूर्ण साक्ष्य या इसके किसी भाग को सुनने और अभिलेखित किये जाने के पश्चात् किसी जांच प्राधिकार को उसमें अधिकारिता न रह जाय तथा अन्य जॉच प्राधिकार प्रभार ग्रहण करे जिसे ऐसी अधिकारिता हो और जो उस अधिकारिता का प्रयोग करे, तो वह उत्तरवर्ती जांच प्राधिकार अपने पूर्ववर्ती द्वारा उस प्रकार अभिलेखित किये गये अथवा आंशिक रूप से अपने पूर्ववर्ती द्वारा तथा आंशिक रूप से स्वयं द्वारा अभिलेखित किये गये साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई कर सकेगा: परन्तु यह कि यदि उत्तरवर्ती जांच प्राधिकार की राय हो कि साक्षियों में से किसी की, जिसका साक्ष्य पहले अभिलेखित किया जा चुका हो, पुनः आगे जांच न्यायहित में आवश्यक है, तो वह किसी ऐसे साक्षी को बुला सकेगा, उसका परीक्षण, प्रतिपरीक्षण और पुनर्परीक्षण कर सकेगा, जैसा कि इसमें पूर्व-उपबंधित है ।

(23) (i) जांच की समाप्ति के पश्चात् एक अभिलेख तैयार किया जायेगा और उसमें निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होंगे -

(क) आरोप की मदो और अवचार अथवा कदाचार के लांछन की विवरणी;

(ख) प्रत्येक आरोप की मद के संबंध में सरकारी सेवक का प्रतिवाद;

(ग) प्रत्येक आरोप की मद के संबंध में साक्ष्य का निर्धारण;
(घ) प्रत्येक आरोप की मद पर निष्कर्ष और उसके कारण ।
स्पष्टीकरण- यदि जांच प्राधिकार की राय में जांच की कार्यवाही आरोप की मूल मदों से भिन्न किसी आरोप की मद को सिद्ध करे, तो वह ऐसे आरोप की मद पर अपना निष्कर्ष अभिलेखित कर सकेगा:

परन्तु यह कि ऐसे आरोप की मद पर निष्कर्ष तबतक अभिलेखित नहीं किये जायेंगे, जबतक कि सरकारी सेवक ने ऐसे तथ्यों को, जिन पर ऐसे आरोप की मद आधारित हो, या तो स्वीकार न कर लिया हो या ऐसे आरोप की मद के विरूद्ध अपना प्रतिवाद करने के लिये उसे युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो ।

(ii) जांच प्राधिकार, जहां वह स्वयं अनुशासनिक प्राधिकार न हो, जांच-अभिलेख अनुशासनिक प्राधिकार को प्रेषित कर देगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे -

(क) इस उप-नियम के खंड (i) के अधीन उसके द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन;
(ख) सरकारी सेवक द्वारा समर्पित किये गये बचाव का लिखित अभिकथन, यदि कोई हो;
(ग) जांच के दौरान प्रस्तुत किये गये मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य;
(घ) जांच के दौरान प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी या सरकारी सेवक या दोनों के द्वारा दाखिल किये गये लिखित पक्ष-कथन, यदि कोई हो; और
(ङ) अनुशासनिक प्राधिकार तथा जांच प्राधिकार द्वारा जांच से संबंधित किये गये आदेश, यदि कोई हो ।

18. जांच प्रतिवेदन पर कार्रवाई ।- (1)अनुशासनिक प्राधिकार, यदि वह स्वयं जांच प्राधिकार न हो, लिखित रूप में अभिलेखित किये जानेवाले कारणों से, पुनः आगे जांच करने एवं प्रतिवेदन देने के लिये मामले को जांच प्राधिकार के पास वापस प्रेषित कर सकेगा तथा जांच प्राधिकार उस पर, जहां तक हो सके, नियम-17 के उपबंधों के अनुसार पुनः आगे जांच करेगा ।

(2) नियम-17 (23) (ii) या उप नियम (1) के अनुसार जाँच प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर, अनुशासनिक प्राधिकार यदि वह आरोप की किसी मद पर जांच प्राधिकार के निष्कर्ष से असहमत हो तो ऐसी असहमति के लिये अपने कारणों को अभिलेखित करेगा तथा ऐसे आरोप से संबंधित स्वयं का निष्कर्ष अभिलेखित करेगा, यदि उस प्रयोजनार्थ अभिलेख में उल्लेखित साक्ष्य पर्याप्त हों ।

(3) अनुशासनिक प्राधिकार जाँच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि, उप नियम (2) में यथा उपबंधित स्वयं के निष्कर्ष, यदि कोई हो, के साथ, सरकारी सेवक को भेजेगा या भेजवायेगा, जो, यदि वह ऐसा चाहे, अपना लिखित

अभ्यावेदन या निवेदन अनुशासनिक प्राधिकार को पन्द्रह दिनों के अन्दर समर्पित कर सकेगा ।

(4) अनुशासनिक प्राधिकार, उप नियम (5) एवं (6) में यथा निर्दिष्ट अग्रेत्तर कार्रवाई करने के पूर्व, सरकारी सेवक द्वारा समर्पित अभ्यावेदन या निवेदन यदि कोई हो, पर विचार करेगा ।

(5) आरोप की सभी या किसी मद से संबंधित अपने निष्कर्षो को ध्यान में रखते हुए यदि अनुशासनिक प्राधिकार की यह राय हो कि नियम-14 के खंड(i) से (v) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति सरकारी सेवक पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह नियम-19 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी शास्ति अधिरोपित करते हुए आदेश देगा ।

(6) आरोप की सभी अथवा किसी मद पर अपने निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए तथा जांच के दौरान दिये गये साक्ष्य के आधार पर यदि अनुशासनिक प्राधिकार की यह राय हो कि नियम-14 के खंड (vi) से (x) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई सरकारी सेवक पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह ऐसी शास्ति अधिरोपित करते हुए आदेश देगा और अधिरोपित होनेवाली प्रस्तावित शास्ति पर सरकारी सेवक को अभ्यावेदन करने का कोई अवसर देना आवश्यक नहीं होगा ।

(7) उप नियम (5) एवं (6) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हरेक मामले में, जहां आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो, वहां आयोग से परामर्श किया जायेगा और सरकारी सेवक पर कोई शास्ति अधिरोपित करने संबंधी कोई आदेश देने के पूर्व उसके परामर्श पर विचार किया जायेगा ।

19. लघु शास्तियॉ अधिरोपित करने हेतु प्रकिया ।- (1) नियम-18 के उप-नियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी सरकारी सेवक पर नियम-14 के खंड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने संबंधी कोई आदेश निम्नांकित कार्रवाइयों के किये बिना नहीं दिया जायेगा-

(क) उसके विरूद्ध कार्रवाई करने के लिये प्रस्ताव तथा कदाचार अथवा अवचार का लांछन, जिसके आधार पर कार्रवाई प्रस्तावित हो, की सरकारी सेवक को लिखित जानकारी, और उसे ऐसा अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर, जैसा वह प्रस्ताव के विरूद्ध करना चाहे;

(ख) हरेक मामले जिसमें अनुशासनिक प्राधिकार की राय में ऐसी जॉच आवश्यक हो नियम 17 के उप-नियम (3) से (23) तक में विहित रीति से जॉच;

(ग) सरकारी सेवक द्वारा खंड (क) के अधीन समर्पित अभ्यावेदन तथा खंड (ख) के अधीन की गयी जॉच, यदि कोई हो, पर विचार;

(घ) प्रत्येक अवचार या कदाचार पर निष्कर्ष का अभिलेखन; और

(ड़) आयोग से परामर्श करना जहॉ ऐसा परामर्श करना आवश्यक हो ।

(2) ऐसे मामलों में कार्यवाही के अभिलेख में निम्नांकित शामिल रहेंगे-

(ii) उसे उपलब्ध कराये गये अवचार या कदाचार के लांछन के अभिकथन की एक प्रतिलिपि;

(iii) उसका अभ्यावेदन, यदि कोई हो;

(iv) जॉच के दौरान प्रस्तुत किये गये साक्ष्य;

(v) आयोग का परामर्श, यदि कोई हो;

(vi) अवचार या कदाचार के प्रत्येक लांछन के बारे में निष्कर्ष; और

(vii) मामले पर, कारणों के साथ, आदेश ।

20. कतिपय मामलों में विशेष प्रकिया ।-नियम-17 से 19 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी -

(i) जहॉ किसी सरकारी सेवक पर कोई शास्ति किसी आपराधिक आरोप के संबंध में उसकी दोषसिद्धि की ओर ले जानेवाले आचरण के आधार पर अधिरोपित किया जाय, अथवा

(ii) जहां अनुशासनिक प्राधिकार का अपने द्वारा लिखित रूप में अभिलेखित किये जाने वाले कारणों से यह समाधान हो जाय कि इस नियमावली में उपबंधित रीति से जांच करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है, अथवा

(iii) जहां सरकार का समाधान हो जाय कि इस नियमावली में उपबंधित रीति से कोई जांच करना राज्य के हित में समीचीन नहीं है,

-तो अनुशासनिक प्राधिकार मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकेगा तथा ऐसा आदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझेः

परन्तु यह कि खंड (i) के अधीन किसी मामले में कोई आदेश करने के पूर्व अधिरोपित की जानेवाली प्रस्तावित शास्ति पर सरकारी सेवक को अभ्यावेदन देने का एक अवसर दिया जायेगा;

परन्तु यह और कि इस नियम के अधीन किसी मामले में कोई आदेश करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा जहां ऐसा परामर्श आवश्यक हो ।

21. आदेशों का संसूचन ।- अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा दिये गये आदेश सरकारी सेवक को संसूचित किये जायेंगे जिसे आरोप के प्रत्येक मद पर निष्कर्ष, अथवा जहॉ अनुशासनिक प्राधिकार जॉच प्राधिकार नहीं है वहॉ जॉच प्राधिकार के निष्कर्षों से असहमति, यदि कोई हो, के संक्षिप्त कारणों सहित अनुशासनिक प्राधिकार के निष्कर्षों के एक अभिकथन की प्रति और आयोग के परामर्श, यदि कोई हो, की प्रति, तथा जहॉ अनुशासनिक प्राधिकार ने आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया हो वहॉ ऐसे अस्वीकार किये जाने के कारणों का संक्षिप्त अभिकथन भी उपलब्ध कराये जायेंगे ।

22. सम्मिलित कार्यवाही ।- (1) जहॉ किसी मामले में दो या अधिक सरकारी सेवक संबंधित है वहॉ सरकार या ऐसे सभी सरकारी सेवकों की सेवा से बर्खास्तगी संबंधी शास्ति अधिरोपित करने में सक्षम कोई अन्य प्राधिकार आदेश द्वारा निदेशित कर सकेगा कि उन सभी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई एक सम्मिलित कार्यवाही के तहत की जा सकती है ।

टिप्पणी-यदि ऐसे सरकारी सेवकों की सेवा से बर्खास्तगी संबंधी शास्ति अधिरोपित करने में सक्षम प्राधिकार विभिन्न हों तो सम्मिलित कार्यवाही के तहत अनुशासनिक कार्रवाई करने का आदेश ऐसे प्राधिकारों में उच्चतम द्वारा अन्यों की सहमति से दिया जा सकेगा ।

(2) किसी ऐसे आदेश में निम्नांकित विनिर्दिश्ट रहेगा-

(i) ऐसी सम्मिलित कार्यवाही में अनुशासनिक प्राधिकार के रूप में कार्य कर सकनेवाला प्राधिकार;

(ii) नियम-14 में निर्दिष्ट शास्तियाँ जिन्हें ऐसा अनुशासनिक प्राधिकार अधिरोपित करने में सक्षम होगा;

(iii) नियम-17 एवं नियम-18 या नियम-19 में निहित प्रक्रिया का अनुसरण कार्यवाही में होगा या नहीं ।

भाग VII
अपील

23. आदेश के विरूद्ध अपील ।-कोई सरकारी सेवक निलम्बन-आदेश अथवा दंड-आदेश के विरूद्ध अपील कर सकेगा ।

24. अपीलीय प्राधिकार ।-(1) कोई सरकारी सेवक, ऐसे व्यक्ति सहित, जो सरकारी सेवा में नहीं रह गया हो, नियम-23 में विनिर्दिष्ट आदेशों के विरूद्ध, सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकार के समक्ष अपील कर सकेगा अथवा जहां ऐसा प्राधिकार विनिर्दिष्ट न हो वहॉ-

(i) जहां ऐसा सरकारी सेवक सिविल सेवा समूह- क या समूह- ख का सदस्य हो या था अथवा सिविल पद समूह- क या समूह- ख का पदधारी हो या था -

(क) नियुक्ति प्राधिकार के समक्ष अपील कर सकेगा, यदि अपीलाधीन आदेश उसके अधीनस्थ प्राधिकार द्वारा दिया गया हो; अथवा

(ख) सरकार के समक्ष अपील कर सकेगा, यदि ऐसा आदेश किसी अन्य प्राधिकार द्वारा दिया गया हो;

(ii) जहां ऐसा सरकारी सेवक सिविल सेवा समूह- ग या समूह- घ का सदस्य हो या था वहां उस प्राधिकार के समक्ष अपील कर सकेगा जिसके ठीक नीचे के अधीनस्थ प्राधिकार द्वारा अपीलाधीन आदेश दिया गया हो ।

(2) सरकार के आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी हालांकि ज्ञापन के रूप में पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की जा सकेगी ।

(3) यदि अपीलाधीन आदेश पारित करनेवाला व्यक्ति अपनी पश्चातवर्ती नियुक्ति के कारण या अन्यथा उस आदेश के संबंध में अपीलीय प्राधिकार हो जाय तो उस आदेश के विरूद्ध कोई अपील उस प्राधिकार के समक्ष, जिसके ठीक नीचे वह व्यक्ति है, या सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से प्राधिकृत प्राधिकार के समक्ष की जायेगी ।

25. अपील हेतु परिसीमा-काल ।- इस भाग के अधीन की जानेवाली कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक कि वह अपील में अन्तर्ग्रस्त आदेश की प्रति अपीलार्थी को दे दिये जाने की तिथि से पैंतालिस दिनों के अन्दर न की गयी हो :

परन्तु यदि अपीलीय प्राधिकार का यह समाधान हो जाय कि अपीलार्थी को समय पर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण था तो वह उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा ।

26. अपील के प्रारूप एवं विषयवस्तु ।-(1) अपील करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसा अपील पृथक रूप से और अपने नाम से करेगा ।

(2) अपील उस प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत की जाय जिसके समक्ष अपील दाखिल की जा सके । अपीलार्थी द्वारा अपील की एक प्रति उस प्राधिकार को अग्रसारित की जायेगी जिसके आदेश के विरूद्ध अपील की जा रही हो । इसमें ऐसे सभी तथ्य एवं तर्क अन्तर्विष्ट होंगे जिन पर अपीलार्थी विश्वास करता हो तथा इसमें अनादरपूर्ण या अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं किया जायेगा और यह अपने आप में पूर्ण होगा ।

(3) वह प्राधिकार, जिसके आदेश के विरूद्ध अपील किया गया हो, अपील की एक प्रति की प्राप्ति के बाद, उस पर अपनी टिप्पणियों के साथ प्रासंगिक अभिलेखों को, बिना किसी परिहार्य विलम्ब के तथा अपीलीय प्राधिकार से किसी निदेश का इंतजार किये बिना, अपीलीय प्राधिकार को अग्रसारित करेगा।

27. अपील पर विचारण ।- (1) निलम्बन-आदेश के विरूद्ध अपील की दशा में, अपीलीय प्राधिकार यह विचार करेगा कि नियम-9 के उपबंधों के आलोक में तथा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निलम्बन-आदेश न्यायोचित है या नहीं और तदनुसार वह इस आदेश की पुष्टि करेगा अथवा इसे वापस लेगा या उपांतरित करेगा ।

(2) नियम-14 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई अधिरोपित करने वाले आदेश के विरूद्ध अपील की दशा में, अपीलीय प्राधिकार विचार करेगा कि :-

(क) क्या इस नियमावली में विहित प्रकिया का पालन किया गया है, यदि नहीं तो क्या ऐसा अनुपालन नहीं किये जाने से

भारत के संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन हुआ है अथवा न्याय नहीं हो पाया है :

(ख) क्या अनुशासनिक प्राधिकार का निष्कर्ष अभिलेख पर रखे साक्ष्य द्वारा समर्थित है; और

(ग) क्या अधिरोपित शास्ति पर्याप्त, अपर्याप्त अथवा कठोर है; तथा

(i) शास्ति की पुष्टि, वृद्धि, कमी, या उसे निरस्त करते हुए; अथवा

(ii) शास्ति को अधिरोपित करनेवाले या किसी अन्य प्राधिकार को, ऐसे निदेश सहित जैसा वह मामले की परिस्थिति में उचित समझे, मामला प्रेषित करते हुए आदेश पारित करेगा;

परन्तु यह कि –

(i) सभी मामलो में आयोग से परामर्श किया जायेगा जहां ऐसा परामर्श आवश्यक हो;

(ii) यदि अपीलीय प्राधिकार द्वारा अधिरोपित किये जाने हेतु प्रस्तावित बढ़ायी गयी शास्ति नियम-14 के खंड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से एक हो तथा इस मामले में नियम-17 के अधीन पहले से जांच नहीं की गयी हो तो अपीलीय प्राधिकार, नियम-19 के उपबंधों के अध्यधीन, स्वयं ऐसी जांच करेगा अथवा नियम-17 के उपबंधों के अनुसार ऐसी जांच के लिये निदेश देगा और तत्पश्चात् ऐसी जांच की कार्यवाहियों पर विचारण करने तथा अपीलार्थी को नियम-18 के खंड (4) के उपबंधों के अनुसार ऐसी जांच के दौरान प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर प्रस्तावित शास्ति के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद ऐसा आदेश देगा, जो वह ठीक समझे ।

(iii) यदि अपीलीय प्राधिकार द्वारा अधिरोपित किये जाने हेतु प्रस्तावित बढ़ायी गयी शास्ति नियम-14 के खंड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से एक हो और इस मामले में नियम-17 के अधीन पहले ही जांच की जा चुकी हो तो अपीलीय प्राधिकार अपीलार्थी को प्रस्तावित शास्ति के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का एक युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश देगा जो वह ठीक समझे; और

(iv) किसी अन्य मामले में बढ़ायी गयी शास्ति अधिरोपित करनेवाला आदेश तबतक नहीं दिया

जायेगा जबतक अपीलार्थी को बढ़ायी गयी शास्ति के विरूद्ध अभ्यावेदन देने का एक युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता ।

(3) अपीलीय प्राधिकार मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करेगा तथा ऐसा आदेश देगा जो वह न्यायसंगत एवं साम्योचित समझे ।

भाग VIII

पुनरीक्षण

28. पुनरीक्षण ।- (1) इस नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी-

(i) सरकार, अथवा

(ii) सरकार के प्रत्यक्षतः अधीन कोई विभागाध्यक्ष, किसी विभाग या कार्यालय में सेवारत किसी सरकारी सेवक के मामले में, जो ऐसे विभागाध्यक्ष के नियंत्रण में हो, अथवा

(iii) अपीलीय प्राधिकार, या

(iv) सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकार, और ऐसे समय के भीतर, जो उस सामान्य या विशेष आदेश में विहित किया गया हो,

पुनरीक्षण हेतु प्रस्तावित आदेश की तिथि से छह माह के भीतर किसी भी समय स्वप्रेरणा से या अन्यथा जांच का अभिलेख मांग सकेगा तथा इस नियमावली के अधीन अथवा नियम-32 द्वारा निरसित नियमावलियों के अधीन दिये गये आदेश (जिसके विरूद्ध अपील अनुमत हो किन्तु अपील नहीं किया गया हो या अपील अनुमत नहीं हो) का पुनरीक्षण, जहां आयोग से परामर्श आवश्यक हो वहां आयोग से परामर्शोपरान्त, करेगा, और-

(क) आदेश को संपुष्ट, उपांतरित या निरस्त कर सकेगा, या

(ख) आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति को संपुष्ट, उसमें कमी, उसमें बढ़ोत्तरी या उसे निरस्त कर सकेगा अथवा जहाँ कोई शास्ति अधिरोपित न की गयी हो वहां शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, या

(ग) उस प्राधिकार को, जिसने आदेश किया हो या अन्य किसी पदाधिकारी को, आगे जॉच करने हेतु ऐसा आदेश देते हुए, जैसा कि मामले की परिस्थितियों में वह उचित समझे, मामला प्रेषित कर सकेगा, या

(घ) ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे:

परन्तु यह कि शास्ति अधिरोपित या वृद्धि करनेवाला आदेश किसी पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा तबतक नहीं दिया जायेगा, जब तक

कि संबंधित सरकारी सेवक को प्रस्तावित शास्ति के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया जाय, और जहां नियम-14 के खंड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित हो, अथवा पुनरीक्षित किये जानेवाले आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति को उन खंडों में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से किसी में बढ़ाना प्रस्तावित हो वहां नियम-17 में दी गयी रीति से जांच किये बिना तथा संबंधित सरकारी सेवक को जांच के दौरान दिये गये साक्ष्य के आधार पर प्रस्तावित शास्ति के विरूद्ध कारण बताने का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना और जहां आवश्यक हो वहां आयोग से परामर्श किये बिना ऐसी शास्ति अधिरोपित नहीं की जायेगी:

परन्तु यह और कि विभागाध्यक्ष द्वारा पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग तबतक नहीं किया जायेगा जबतक कि-

(i) प्राधिकार, जिसने अपील में आदेश किया हो, या

(ii) प्राधिकार, जिसके यहां अपील हो सकेगी, वहाँ कोई अपील दाखिल न की गयी हो;

उसका अधीनस्थ नहीं हो ।

(2) पुनरीक्षण हेतु कोई कार्यवाही तबतक आरम्भ नहीं की जायेगी जबतक

(i) अपील हेतु समय-सीमा समाप्त न हो जाय, या

(ii) जहां ऐसी कोई अपील की गयी हो वहां अपील का निष्पादन न हो जाय ।

(3) पुनरीक्षण हेतु किसी आवेदन का निष्पादन उसी रीति से किया जायेगा, मानो यह इस नियमावली के अधीन कोई अपील हो ।

भाग- IX

प्रकीर्ण

29. समय सीमा को शिथिल करने तथा विलम्ब को माफ करने की शक्ति ।- इस नियमावली में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस नियमावली के अधीन कोई आदेश देने के लिये सक्षम प्राधिकार, ठोस एवं पर्याप्त कारणों से अथवा यदि पर्याप्त कारण दिखाया जाय तो इस नियमावली के अधीन अपेक्षित कुछ भी किये जाने के लिये इस नियमावली में विनिर्दिष्ट समय-सीमा को बढ़ा सकेगा अथवा किसी विलम्ब को माफ कर सकेगा ।

30. इस नियमावली का अभिभावी प्रभाव ।- किसी अन्य नियमावलियों में इस नियमावली के प्रतिकूल किसी बात के होने पर भी इस नियमावली के प्रावधानों का अभिभावी प्रभाव होगा ।

31. विनियम बनाने की सरकार की शक्ति ।-(1) सरकार इन नियमों के सभी अथवा किसी प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिये विनियम बना सकेगी ।
(2) इस नियमावली के अधीन बनाये गये सभी विनियम राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे ।

32. निरसन एवं व्यावृति ।- (1)सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 तथा बिहार एवं उड़ीसा अधीनस्थ सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1935 को अंगीकृत करने संबंधी अधिसूचना सं0 III/आर 1-101/63-8051-ए0 दिनांक 3 जुलाई, 1963 तथा उक्त दोनों नियमावलियों में संशोधन करनेवाली अधिसूचनाएँ एतद द्वारा निरसित की जाती हैं ।
(2) सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 तथा बिहार एवं उड़ीसा अधीनस्थ सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1935 के अधीन समय-समय पर निर्गत सभी अनुदेश एतदद्वारा निरसित किये जाते हैं ।
(3) सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 तथा बिहार एवं उड़ीसा अधीनस्थ सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1935 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थीं जिस तिथि को ऐसा कार्य किया गया था या कोई कार्रवाई की गयी थी ।
(4) इस नियमावली की कोई भी प्रावधान किसी व्यक्ति को नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पारित किसी आदेश के संबंध में अपील करने के अधिकार से वंचित नहीं करेगा, जो उसे प्राप्त होता, यदि यह नियमावली लागू नहीं होतीं ।
(5) इस नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निरसित नियमावली के अधीन आरम्भ की गयी कोई विभागीय कार्यवाही, अधिरोपित किसी शास्ति के विरूद्ध की गयी अपील सहित, जारी रहेगी, मानो वे नियमावलियाँ अब भी विद्यमान हों ।

33. शंकाओं का निराकरण ।-यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, तो इस मामले को सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को निर्देशित किया जायेगा, और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

[3/एम-1-16/2001]
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(रविकान्त)
सरकार के सचिव

GOVERNMENT OF BIHAR
PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Patna, Dated -12.7.2005

No 3/M-1-16/2001-Ka- **1112** / In exercise of the powers conferred by the proviso to the article 309 of the Constitution of India, the Government of Bihar is pleased to make the following rules-

BIHAR GOVERNMENT SERVANTS (CLASSIFICATION, CONTROL & APPEAL) RULES, 2005

PART- I
GENERAL

1. **Short title, extent and commencement.**- (1) These Rules may be called the "Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005.

(2) It shall extend to the whole of The State of Bihar.

(3) These Rules shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. **Definition.**- For the purposes of these Rules, unless there is any thing repugnant in the subject or context.-

(a) 'Government' means the Government of Bihar;

(b) 'Orders of the Government' mean executive orders passed in exercise of powers given under Rules of Executive Business framed under Article 166 of the Constitution of India;

(c) 'Probationer' means a person appointed to a service on probation;

(d) 'Civil Services cadre' means all classes of Civil Services of the State and it includes also all other similar cadre or extra cadre existing posts under the State Government of Bihar.

'Post' means any existing post under the services of the State Government of Bihar.

(e) 'Appointing authority' in relation to a Government servant means the authority-

(i) who is empowered to make appointments to the Service of which the government servant is for the time being a member, or

(ii) who is empowered to make appointments to the post which the government servant for the time being holds, or

(iii) who has appointed the government servant to such Service, grade or post, as the case may be, or

(iv) where the government servant having been a permanent member of any other Service or having substantively held any other permanent post, has been in continuous employment of the government, such authority who appointed him to that Service or to any grade in that Service or to that post,

(f) 'Cadre authority', in relation to a service, has the same meaning as in the Rules regulating that service;

(g) 'Commission' means the Bihar Public Service Commission;

(h) 'Department of the Government of Bihar' means a department as specified in the Rules of Executive Business;

(i) Save as otherwise expressly provided in the Rules of a particular cadre, 'Disciplinary Authority' means Appointing Authority or any other Authority authorised by it who shall be competent under these Rules to impose on a government servant any of the penalties specified in rule 14 of these Rules;

(j) 'Government servant' means a person who-

(i) is a member of a service or holds a civil post under the State and it includes any such person on foreign service or whose services are temporarily entrusted to the Government, or a local or other authority;

(ii) is a member of a service or holds a civil post under the Government and whose services are temporarily entrusted to the Union Government or any other State Government;

(k) 'Head of the department', for the purpose of exercising the powers as appointing, disciplinary, appellate or revisional authority, means such authority who is declared as the head of the Department under the Bihar Service Code;

(l) 'Head of the office' for the purpose of exercising the powers as appointing disciplinary, appellate or revisional authority, means such authority who is declared to be the Head of the Office;

(m) 'Secretary' means a Secretary to the Government in any Department;

(n) 'Service' means a civil service of the State;

(o) 'Valid notice' means a notice as provided under C.P.C. and the General Clauses Act.

3. **Application of these Rules.-** (1) These Rules shall apply to every government servant but shall not apply to-

(a) any member of the All India Services.

(b) any person in casual employment,

(c) any person subject to discharge from service on less than one months notice,

(d) any person for whom special provision is made, in respect of matter covered by these Rules, by or under any law for the time being in force or by or under any agreement entered into with the previous approval of the Government before or after the commencement of these Rules, in regard to matter covered by such special provisions.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Government of Bihar may, by order, exclude any class of government servants from the operation of all or any of these Rules against him.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), these Rules shall apply to every government servant temporarily transferred to a Service or post coming within (d) in sub-rule (1) .

(4) If any doubt arises with respect to the provisions of these Rules the matter shall be referred to the Government in the Department of Personnel & Administrative Reforms, whose decision shall be final.

PART II
CLASSIFICATION

4. **Classification of Civil Services .-** The Civil Services of the State shall be classified as follows :-

(i) Group-A
(ii) Group-B
(iii) Group-C
(iv) Group-D

5. **Constitution of civil services** .-The Civil Services of the State shall be constituted into Group-A, Group-B, Group-C and Group-D by a general or special order of the Government.

6. **Classification of posts** .- All the civil posts under the State shall, by a general or special order of the Government, be classified as follows-

(i) Group-A
(ii) Group-B
(iii) Group-C
(iv) Group-D

Explanation:- All references to Civil Services/Civil Posts of Group-A, Group-B, Group-C and Group-D in all Rules, Orders, Schedules, Notifications, Regulations, Instructions and Directions in force, immediately before the commencement of these Rules shall be construed as references to Civil Services/Civil posts, Group-A, Group-B, Group-C and Group-D respectively.

PART III

APPOINTING AUTHORITY

7. **Appointment in Group A and Group B of Civil Services** .- All appointments to Group-A and Group-B of civil services and Group-A posts shall be made by the Government:

Provided that the Government may, by a general or a special order and subject to such conditions as may be specified in such order, delegate the power to make such appointments to any other authority.

8. **Appointments to other Services and Posts** .- All appointments to Group-B, Group-C and Group-D posts shall be made by the authorities specified in that behalf by a general or special order of the Government.

PART IV

SUSPENSION

9. **Order of Suspension** .- (1) The appointing authority or any authority to which the appointing authority is subordinate or the disciplinary authority or any other authority empowered in that behalf by the Government by general or special order, may place a government servant under suspension when-

(a) a disciplinary proceeding against the government servant is contemplated or is pending, or

(b) in the opinion of the authority aforesaid, the government servant has engaged himself or herself in activities prejudicial to the interest of the security of the State, or

(c) a case against the government servant in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial and the competent authority is satisfied that it is expedient to suspend the government servant in public interest.

(2) A government servant shall be deemed to have been placed under suspension by an order of appointing authority with effect from the following date.-

(a) from the date of his or her detention, if he or she is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise for a period exceeding forty-eight hours;

(b) from the date of his or her conviction, if, in the event of a conviction for an offence he or she is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty-eight hours and is not forthwith dismissed or removed or compulsorily retired consequent to such conviction.

EXPLANATION- The period of forty-eight hours specified in clause (b) of this sub-rule shall be computed from the date of commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose intermittent periods of imprisonment, if any, shall be taken into account.

(3) (i) After the custody period under sub-rule (2), the period of deemed suspension shall be deemed to end when the government servant give his joining and the joining shall be accepted.

(ii) If a decision is taken to suspend the government servant again under sub-rule (1) (a), or (b) or (c), then such action may be taken only after acceptance of joining and by issuing a separate order.

(4) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a government servant under suspension is set aside in appeal or on revision under these Rules and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders.

(5) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a government servant is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a court of law and the disciplinary authority, on a consideration of the circumstances of the case, decides to hold further

inquiry against the government servant to meet a situation where the court has passed an order purely on technical grounds without going into the merits of the case, on the allegations on which the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement was originally imposed, the government servant shall be deemed to have been placed under suspension by the Appointing Authority from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until further orders.

(6) (a) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the authority competent.

(b) Where a government servant is suspended or is deemed to have been suspended (whether in connection with any disciplinary proceeding or otherwise), and any other disciplinary proceeding is commenced against him or her during the continuance of that suspension, the authority, competent to place him or her under suspension, may, for reasons to be recorded by it in writing, direct that the government servant shall continue to be under suspension till the termination of all or any of such proceedings.

(c) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule may, at any time, be modified or revoked by the same authority who or whose subordinate authority has passed such order.

(7) Charge-sheet must be framed within three months from the date of issue of suspension order failing which on expiry of three months, the suspension order shall be revoked unless the authority, which issued the suspension order, passes the order renewing the suspension alongwith reasons to be recorded in writing for the delay in framing of charge-sheet for a further period of four months;

Provided that after the expiry of extended period of four months the suspension order shall stand revoked if the charge-sheet is not framed.

10. **Subsistence allowance during suspension** - (1) A government servant under suspension or deemed to have been placed under suspension shall be entitled to receive a subsistence allowance an amount equal to the half average pay and in addition, dearness allowance admissible on such half pay;

Provided that where the period of suspension has exceeded twelve months, the authority, who has made such order of suspension, shall be competent to vary the amount of subsistence allowance for any period subsequent to the period of first twelve months as follows:-

(i) the amount of subsistence allowance may be increased by such a suitable amount, which shall not be exceeding fifty per cent of the subsistence allowance admissible during the period of the first twelve months, if in the opinion of the said authority, the period of suspension has been prolonged, for which, for reasons to be recorded in writing, the government servant is not responsible.

(ii) the amount of subsistence allowance may be reduced by such a suitable amount which shall not be exceeding fifty per cent of the subsistence allowance admissible during the period of first twelve months, if, in the opinion of the said authority, the period of suspension has been prolonged, for which, for reasons to be recorded in the writing, the government servant is responsible.

(iii) the rate of dearness allowance will be based on the rates increased or, the reduced amount, as the case may be, of subsistence allowance admissible under sub-clause(i) or sub-clause(ii) of this rule:

Provided further that the government servant shall be entitled to receive subsistence allowance only for such period when he is actually present at the headquarters during the suspension period. He shall be required to mark his attendance in the attendance register meant for such government servant;

Provided further that since the headquarters cannot be fixed for the period of custody, therefore marking of such attendance shall not be required for the period of custody.

(2) No government servant shall be entitled to receive payment under sub-rule(1) unless he furnishes a certificate that he is not engaged in any other employment, business, profession or vocation.

(3) Where suspension is under sub-rule(2) of rule 9, in that case also the subsistence allowance shall be admissible in accordance with sub-rule (1) above. As a result of deemed suspension due to detention in custody the payment of subsistence allowance may be made to the dependent nominated by the government servant on the basis of his authority. Such subsistence allowance shall be paid by the same establishment where the government servant was posted at the time of detention.

(4) The disciplinary authority shall be the competent authority to grant subsistence allowance and to increase or decrease the same.

11. **Treatment of service on reinstatement and admissibility of pay and allowances after suspension.-** (1) When a government servant under suspension is reinstated or would have been so reinstated but for his superannuation while under suspension, the disciplinary authority shall consider and make specific order regarding the following-

(a) the pay and allowances to be paid to the government servant for the period of suspension ending with reinstatement or the date of his retirement on superannuation, as the case may be, and

(b) whether or not the said period shall be treated as a period spent on duty.

(2) Notwithstanding anything contained in rule-10 of these Rules, where a government servant under suspension has died before the disciplinary or court proceedings instituted against him are concluded, the period between the date of suspension and the date of death shall be treated as on duty for all purposes and his family shall be paid the full pay and allowances for that period to which he would have been entitled had he not been suspended. While making such payment adjustment shall be made in respect of subsistence allowance and other allowances already paid and the adjustment of government dues or loans.

(3) Where the disciplinary authority is of the opinion that the suspension was wholly unjustified, the government servant shall, subject to the provisions of sub-rule (8) of this rule, be paid such full pay and allowances to which he would have been entitled, had he not been suspended. While making such payment adjustment shall be made in respect of subsistence allowance and other allowances already paid;

Provided that where such authority is of the opinion that the termination of the proceedings instituted against the government servant had been delayed due to reasons directly for which the government servant is liable, it may, give the government servant an opportunity to make his or her representation and consider the representation, if any, submitted by him or her. After that it may direct, for reasons to be recorded in writing, that the government servant shall be paid for the period of such delay only such proportion of such pay and allowances as may be determined by it.

(4) In cases falling under sub-rule (3) of this rule, the period of suspension shall be treated as a period spent on duty for all purposes.

(5) In cases other than those falling under sub-rules (2) and (3) of this rule, the government servant shall subject to the provisions of sub-rules (8) and (9) be paid such proportion of the full pay and allowances to which he would have been entitled had he not been suspended, as the disciplinary authority may determine. Such determination by the disciplinary authority shall be done after giving notice to the government servant of the quantum proposed and after considering the representation, if any, submitted by him in that connection within sixty days from the date on which notice aforesaid is served on the government servant.

Provided that where such authority is of the opinion that the termination of the proceedings instituted against the government servant had been delayed due to reasons directly attributable to the government servant, it may, after giving him an opportunity to make his representation and after considering the representation, if any, submitted by him, direct, for reasons to be recorded in writing, that the government servant shall, subject to the provisions of sub-rule (7), be paid for the period of such delay, only such proportion of such pay and allowances as it may be determined by him.

(3) In a case falling under sub-rule (2), the period of absence from duty including the period of suspension preceding dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be, shall be treated as a period spent on duty for all purposes.

(4) In cases other than those covered by sub-rule (2) of this rule the government servant shall, subject to the provisions of sub-rule(6) and (7), be paid such proportion of the full pay and allowances to which he would have been entitled, had he not been dismissed, removed or compulsorily retired or suspended prior to such dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be, as the disciplinary authority may determine. The disciplinary authority shall determine the proportion of such payment after giving notice to the government servant of the quantum proposed and after considering the representation, if any, submitted by him, in that connection within sixty days from the date on which the notice aforesaid is served on the government servant.

(5) In a case falling under sub-rule(4), the period of absence from duty including the period of suspension preceding his dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be, shall not be treated as a period spent on duty, unless the disciplinary authority specifically directs that it shall be so treated for any specified purpose:

Provided that if the government servant so represents, such authority may after consideration, direct that the period of absence from duty including the period of suspension preceding his dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be, shall be converted into leave of any kind due and admissible to the government servant.

(6) The payment of allowances under sub-rule (2) or sub-rule (4) shall be subject to all other conditions under which allowances are admissible.

(7) The proportion of the full pay and allowances determined under the proviso to sub-rule (2) or under sub-rule (4) shall neither be equal to the full pay and allowances nor less than the subsistence allowance and other allowances admissible under rule 10, as the case may be.

(6) Where suspension is revoked pending finalisation of the disciplinary proceeding or proceedings in a court, any order passed under sub-rule (1) of this rule before the conclusion of the proceedings against the government servant, shall be reviewed on its own motion, after the conclusion of the proceedings by the disciplinary authority and an order shall be made by him in accordance with the provisions contained in sub-rule(3) or sub-rule(5), as the case may be.

(7) In a case falling under sub-rule (5) of this rule the period of suspension shall not be treated as a period spent on duty, unless the disciplinary authority specifically directs that it shall be the period spent for any specified purposes.

(8) The payment of allowances under sub-rule (2), sub-rule (3) or sub-rule (5)of this rule shall be subject to all other conditions under which such allowances are admissible.

(9) The proportion of the full pay and allowances determined under the proviso to sub-rule(3) or under sub-rule(5) of this rule shall neither be equal to full pay and allowances nor shall it be less than the subsistence allowance.

12. **Treatment of service on reinstatement and admissibility of pay and allowances after dismissal, removal or compulsory retirement as a result of appeal.-** (1) When a government servant, who has been dismissed, removed or compulsorily retired, is re-instated as a result of appeal or would have been so reinstated but for his retirement on superannuation while under suspension or not, the disciplinary authority shall consider and pass a specific order-

(a) regarding the pay and allowances to be paid to the government servant for the period of his absence from duty including the period of suspension preceding his dismissal, removal, or compulsory retirement, as the case may be; and

(b) whether or not the said period shall be treated as a period spent on duty?

(2) The government servant shall, subject to the provisions of sub-rule (6) be paid the full pay and allowances to which he would have been entitled, had he not been dismissed , removed or compulsorily retired or suspended prior to such dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be, in cases-

(i) where the disciplinary authority is of opinion that the government servant who had been dismissed, removed or compulsorily retired has been fully exonerated, or

(ii) where the order of dismissal, removal or compulsory retirement from service is set aside by the appellate authority solely on the ground of noncompliance of the requirement of these Rules and no further inquiry is proposed to be held;

(8) Any payment made under this rule to a government servant on his reinstatement shall be subject to adjustment of the amount, if any, earned by him through an employment during the period between the date of removal, dismissal or compulsory retirement, as the case may be, and the date of reinstatement. Where the pay and allowances admissible under this rule are equal to or less than the amounts earned during such employment elsewhere, nothing shall be paid to the government servant.

13. **Treatment of service on reinstatement and admissibility of pay and allowances where dismissal, removal or compulsory retirement is set aside by a court of law.-** (1) Where the dismissal, removal or compulsory retirement of a government servant is set aside by a court of law and such government servant is reinstated without holding any further inquiry, the period of absence from duty shall be regularised and the government servant shall be paid pay and allowances in accordance with the provisions of sub-rule(2) or(3) of this rule subject to the directions if any, of the court.

(2) (i) In cases other than those covered by sub-rule(3) of this rule, the government servant shall be paid such proportion of the full pay and allowances to which he would have been entitled had he not been dismissed, removed or compulsorily retired, or suspended prior to such dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be, and as the disciplinary authority may determine. The disciplinary authority shall determine the proportion of such payment after giving notice to the government servant of the quantum proposed and after considering the representation, if any, submitted by him, in that connection, within sixty days from the date on which the notice aforesaid is served on the government servant :

Provided that any payment under this sub-rule to a government servant shall neither be equal to the full pay and allowances nor less than the subsistence allowance and other allowances admissible under rule-10. as the case may be.

(ii) The period intervening between the date of dismissal, removal or compulsory retirement including the period of suspension preceding such dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be, and the date of judgement of the court shall be regularised in accordance with the provisions contained in sub-rule(5) of rule-12.

(3) Where the dismissal, removal or compulsory retirement of a government servant is set aside by a court on the merit of the case, or where the dismissal, removal or compulsory retirement of a government servant is set aside by a court solely on the ground of non-compliance with the requirements of these Rules and no further inquiry is proposed to be held, the period intervening

between the date of dismissal, removal or compulsory retirement as the case may be, and the date of reinstatement shall be treated as on duty for all purposes. As a result the government servant shall be paid full pay and allowances for the period to which he would have been entitled, had he or she not been dismissed, removed or compulsorily retired or suspended prior to such dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be.

(4) The payment of allowances under sub-rule (2) or sub-rule (3) shall be subject to all other conditions under which such allowances are admissible.

(5) Any payment made under this rule to a government servant on his reinstatement shall be subject to adjustment of the amount, if any, earned by him or her through any employment during the period between the dismissal, removal or compulsory retirement and the date of reinstatement. Where the pay and allowances admissible under this rule are equal to or less than those earned during such employment elsewhere, nothing shall be paid to the government servant.

PART- V

PENALTIES AND DISCIPLINARY AUTHORITIES

14. **Minor and Major Penalties** .- The following penalties may, for good and sufficient reasons and as hereinafter provided, be imposed on a government servant, namely:-

Minor Penalties:-

(i) censure;

(ii) withholding of promotion;

(iii) recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to the Government by negligence or breach of orders;

(iv) reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a period not exceeding three years, without cumulative effect.

(v) withholding of increments of pay;

Major Penalties

(vi) Save as provided for in clause (iv),reduction to a lower stage in time-scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the government servant will earn increments of pay during the

period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;

(vii) reduction to a lower time-scale of pay, grade, post or Service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the government servant to the time-scale of pay, grade, post or service from which he or she was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the government servant was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or Service;

(viii) compulsory retirement;

(ix) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;

(x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government:

Provided that, in every case in which the charge of acceptance from any person of any gratification, other than legal remuneration, as a motive or reward for doing or forbearing to do any official act is established, the penalty mentioned in clause(ix) or clause(x) shall be imposed:

Provided further that in any exceptional case and for special reasons to be recorded in writing , any other penalty may be imposed.

EXPLANATION- The following shall not amount to a penalty within the meaning of this rule, namely.-

(i) withholding of increments of pay of a government servant for his failure to pass any departmental examination in accordance with the Rules or orders governing the service to which he belongs or post which he holds or the terms of his appointment;

(ii) withholding of promotion of a government servant after consideration of his case to a service, grade or post for which he is eligible, whether he is in a substantive or in officiating capacity.

(iii) non-promotion of a government servant, whether in a substantive or officiating capacity, after consideration of his case, to a Service , grade or post for promotion to which he is eligible;

(iv) reversion of a government servant officiating in a higher Service, grade, or post to a lower Service, grade or post or on any administrative ground unconnected with his conduct;

(v) reversion of a government servant appointed on probation to any other Service, grade or post to his permanent Service, grade or post during or at the end of the period of probation in accordance with the terms and conditions of his appointment or the Rules and order governing such probation;

(vi) replacement of the services of a government servant, whose services had been borrowed from a State Government or an authority under the control of a State Government, at the disposal of the State Government or the authority from which the services of such Government or the authority from which the services of such government servant had been borrowed;

(vii) compulsory retirement of a government servant in accordance with the provisions relating to superannuation or retirement under rule 74 of the Bihar Service Code;

(viii) termination of the service-

(a) of a government servant appointed on probation, during or at the end of the period of his probation, in accordance with the terms and conditions of his appointment or the Rules and orders governing such probation; or

(b) of a government servant, employed under an agreement, in accordance with the terms of such agreement.

15. **Disciplinary Authorities** .- (1) The Government may impose any of the penalties specified in rule 14 on any government servant.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-rule (1), any of the penalties specified in rule 14 may be imposed on a government servant by the appointing authority or any authority to which the appointing authority is subordinate or by any other authority empowered in this behalf by a general or special order of the Government.

16. **Authority to institute proceedings** .- The Government or appointing authority or any authority to which the appointing authority is subordinate or any other authority empowered by general or special order of the Government may-

(a) institute disciplinary proceedings against any government servant;

(b) direct a disciplinary authority to institute disciplinary proceedings against any government servant on whom that disciplinary authority is competent to impose any of the penalties specified in rule14 under these Rules.

(2) A disciplinary authority, competent under these Rules to impose any of the penalties specified in clauses (i) to (v) of rule 14, may institute disciplinary proceedings against any government servant for the imposition of any of the penalties specified in clauses (vi) to (x) of rule 14 notwithstanding that such disciplinary authority is not competent under these Rules to impose any of the penalties under clauses (vi) to (x) of Rule 14.

PART- VI

PROCEDURE FOR IMPOSING PENALTIES

17. **Procedure for imposing major penalties .-**

(1) No order imposing any of the penalties specified in clauses (vi) to (x) of rule 14 shall be made without holding an inquiry, as far as may be, in the manner provided in these Rules.

(2) Wherever the disciplinary authority is of the opinion that there are grounds for inquiring about the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against a government servant, he may himself inquire into it, or appoint under these Rules, an authority to inquire about the truth thereof.

EXPLANATION- Where the disciplinary authority himself holds the inquiry, any reference in sub-rule(7) to sub-rule(20) and in sub-rule(22) of this rule to the inquiring authority shall be construed as a reference to the disciplinary authority.

(3) Where it is proposed to hold an inquiry against a government servant under this rule, the disciplinary authority shall draw up or cause to be drawn up-

(i) the substance of the imputations of misconduct or misbehaviour as a definite and distinct article of charge;

(ii) a statement of the imputations of misconduct or misbehaviour in support of each article of charge, which shall contain-

(a) a statement of all relevant facts including any admission or confession made by the government servant;

(b) a list of such document by which, and a list of such witnesses by whom, the articles of charge are proposed to be sustained.

(4) The disciplinary authority shall deliver or cause to be delivered to the government servant a copy of the articles of charge, such statement of the imputations of misconduct or misbehaviour and a list of documents and witnesses by which each article of charge is proposed to be sustained and shall require the government servant to submit, within such time as may be specified, a written statement of his defence and to state whether he desires to be heard in person.

(5) (a) On receipt of the written statement of defence, the disciplinary authority may himself inquire into such of the articles of charge which are not admitted, or, if it thinks necessary to appoint, under sub-rule(2) of this rule, an inquiry authority for the purpose he may do so and where all the articles of charges have been admitted by the government servant in his written statement of defence, the disciplinary authority shall record his findings on each charge after taking such evidence as it may think fit and shall take action in the manner laid down in rule 18.

(b) If no written statement of defence is submitted by the government servant, the disciplinary authority may itself inquire into the articles of charge or may, if it thinks necessary to appoint, under sub-rule(2) of this rule an inquiry authority for the purpose, it may do so.

(c) Where the disciplinary authority itself inquires into any article of charge or appoints an inquiring authority for holding an inquiry about such charge, it may, by an order, appoint a government servant or a legal practitioner, to be known as the "Presenting officer" to present on his behalf the case in support of the articles of charge.

(6) The disciplinary authority shall, where it is not the inquiring authority, forward the following records to the inquiring authority-

(i) a copy of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;

(ii) a copy of the written statement of defence, if any, submitted by the government servant;

(iii) a copy of the statement of witnesses, if any, specified in sub-rule(3)of this rule.

(iv) evidence proving the delivery of the documents specified to in sub-rule(3) to the government servant; and

(v) a copy of the order appointing the "Presenting officer".

(7) The government servant shall appear in person before the inquiring authority on such day and at such time within ten working days from the date of receipt by him of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour, as the inquiring authority may, by a notice in writing, specify in this behalf or within such further time, not exceeding ten days, as may be specified by the inquiring authority.

(8) (a) The government servant may take the assistance of other government servant posted in any office, either at his headquarter or at the place where the inquiry is to be held, to present the case on his behalf:

Provided that he may not engage a legal practitioner for the purpose, unless the Presenting Officer appointed by the disciplinary authority is a legal practitioner, or, the disciplinary authority, having regard to the circumstances of the case, so permits:

Provided also that the government servant may take the assistance of any other government servant posted at any other station, if the inquiring authority having regard to the circumstances of the case, and for reasons to be recorded in writing so permits:

Provided further that the government servant shall not take the assistance of any such other government servant who has three pending disciplinary cases on hand in which he has to give assistance.

(b) The government servant may take the assistance of a retired government servant to present the case on his behalf, subject to such conditions as may be specified by the Government from time to time by general or special order in this behalf.

(9) If the government servant, who has not admitted any of the articles of charge in his written statement of defence or has not submitted any written statement of defence, appears before the inquiring authority, such authority shall ask him whether he is guilty or has to say any thing for his defence and if he pleads guilty to any of the articles of charge, the inquiring authority shall record the plea, sign the record and obtain the signature of the government servant thereon.

(10) The inquiring authority shall return a finding of guilt in respect of those articles of charge to which the government servant pleads guilty.

(11) The inquiring authority shall, if the government servant fails to appear within the specified time or refuses or omits to plead, require the Presenting Officer to produce the evidence by which he proposes to prove the articles of charge, and

shall adjourn the case to a later date not exceeding thirty days, after recording an order that the government servant may, for the purpose of preparing his defence,-

(i) inspect within five days of the order or within such further time not exceeding five days as the inquiring authority may allow, the documents specified in the list in sub-rule (3);

(ii) submit a list of witnesses to be examined on his behalf;

NOTE – If the government servant applies in writing for the supply of copies of the statements of witnesses mentioned in the list referred to in sub-rule (3), the inquiring authority shall furnish him with such copies as early as possible.

(iii) give a notice within ten days of the order or within such further time as the inquiring authority may allow for the discovery or production of any documents which are in the possession of Government but not mentioned in the list specified in sub-rule(3) of this rule:

Provided that the government servant shall indicate the relevance of the documents required by him to be discovered or produced by the Government.

(12) The inquiring authority shall, on receipt of the notice for the discovery or production of documents, forward the same or copies thereof to the authority in whose custody or possession the documents are kept, with a requisition for the production of the document by such date as may be specified in such requisition:

Provided that the inquiring authority may, for reasons to be recorded by it in writing, refuse to requisition such of the documents as are, in its opinion, not relevant to the case.

(13) On receipt of the requisition specified in sub-rule (12) of this rule, every authority having the custody or possession of the requisitioned documents shall produce the same before the inquiring authority:

Provided that if the authority, having the custody or possession of the requisitioned documents, is satisfied, for reasons to be recorded by it in writing, that the production of all or any of such documents will be against public interest or security of the State, he shall inform the inquiring authority accordingly and the inquiring authority shall, on being so informed, communicate the information to the government servant and withdraw the requisition made by it for the production or discovery of such documents.

(14) On the date fixed for the inquiry, the oral and documentary evidence by which the articles of charge are proposed to be proved shall be produced by or on behalf of the disciplinary authority. The witnesses shall be examined by or on behalf of the Presenting Officer and may be cross-examined by or on behalf of the government servant. The Presenting Officer shall be entitled to re-examine the witnesses on any points on which they have been cross-examined, but not on any new matter, without the leave of the inquiring authority. The inquiring authority may also put such questions to the witnesses, as it thinks fit.

(15) If it shall appear necessary before the close of the case on behalf of the disciplinary authority, the inquiring authority may, in his discretion, allow the Presenting Officer to produce evidence not included in the list given to the government servant or may itself call for new evidence or recall and re-examine any witness and in such case the government servant shall be entitled to have, if he demands it, a copy of the list of further evidence proposed to be produced and an adjournment of the inquiry for three clear days before the production of such new evidence, exclusive of the day of adjournment and the day to which the inquiry is adjourned. The inquiring authority shall give the government servant an opportunity of inspecting such documents before they are taken on the record. The inquiring authority may also allow the government servant to produce new evidence, if it is of the opinion that the production of such evidence is necessary in the interests of justice:

Provided that new evidence shall not be permitted or called for or any witness shall not be recalled to supplement the evidence. Such evidence may be called for if there is any inherent lacuna or defect in the evidence, produced originally.

(16) When the case for the disciplinary authority is closed, the government servant shall be required to state his defence, orally or in writing, as he may prefer. If the defence is made orally, it shall be recorded and the government servant shall be required to sign the record. In either case a copy of the statement of defence shall be given to the Presenting Officer, if any, appointed.

(17) The evidence on behalf of the government servant shall then be produced. The government servant may examine himself in his own behalf if he so prefers. The witnesses produced by the government servant shall then be examined and they shall be liable to examination, cross-examination and, re-examination by the inquiring authority according to the provisions applicable to the witnesses for the disciplinary authority.

(18) The inquiring authority may, after the government servant closes his case, and shall, if the government servant has not examined himself, generally question him on the circumstances appearing against him in the evidence for the purpose of enabling the government servant to explain any circumstances appearing in the evidence against him.

(19) The inquiring authority may, after the completion of the production of evidence, hear the Presenting Officer, if any, appointed and the government servant, or permit them to file written briefs of their respective case, if they so desire.

(20) If the government servant to whom a copy of the articles of charge has been delivered, does not submit the written statement of defence on or before the date specified for the purpose or does not appear in person before the inquiring authority or otherwise fails or refuses to comply with the provisions of this rule, the inquiring authority may hold the inquiry *ex-parte*.

(21) (a) Where a disciplinary authority competent to impose any of the penalties specified in clauses (i) to (v) of rule 14 [but not competent to impose any of the penalties specified in clauses (vi) to (x) of rule 14], has himself inquired into or caused to be inquired into the article of any charge and that authority having regard to his own findings or having regard to its decision on any of the findings of any inquiring authority appointed by it, is of the opinion that the penalties specified in clauses (vi) to (x) of rule 14 should be imposed on the government servant, that authority shall forward the records of the inquiry to such disciplinary authority as is competent to impose the penalties mentioned in clause (vi) to (x) of rule 14.

(b) The disciplinary authority to which the records are so forwarded may act on the evidence on the records or may, if he is of the opinion that further examination of any of the witnesses is necessary in the interests of justice, recall the witnesses and examine, cross-examine and re-examine the witnesses and may impose on the government servant such penalties as it may deem fit in accordance with these rules.

(22) Whenever any inquiring authority, after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in an inquiry ceases to exercise jurisdiction therein, and is succeeded by another inquiring authority which has and which exercises, such jurisdiction, the inquiring authority so succeeding may act on the basis of evidence so recorded by its predecessor, or partly recorded by its predecessor and partly recorded by itself:

Provided that if the succeeding inquiring authority is of the opinion that further examination of any of the witnesses whose evidence has already been recorded is necessary in the interest of justice, it may recall, examine, cross-examine and re-examine any such witnesses as hereinbefore provided.

(23) (i) After the conclusion of the inquiry, a record shall be prepared and it shall contain-

(a) the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;

(b) the defence of the government servant in respect of each article of charge.

(c) an assessment of the evidence in respect of each article of charge,

(d) the findings on each article of charge and the reasons thereof.

EXPLANATION- If in the opinion of the inquiring authority the proceedings of the inquiry may establish any article of charge different from the original articles of the charge, he may record his findings on such article of charge:

Provided that the findings on such article of charge shall not be recorded unless the government servant has either admitted the facts on which such article of charge is based or has had a reasonable opportunity of defending himself against such article of charge.

(ii) The inquiring authority, where it is not itself the disciplinary authority, shall forward to the disciplinary authority the records of inquiry which shall include-

(a) the report prepared by it under clause (i) of this sub rule;

(b) the written statement of defence, if any, submitted by the government servant;

(c) the oral and documentary evidence produced in the course of the inquiry;

(d) written briefs, if any, filed by the Presenting Officer or the government servant or both during the course of the inquiry; and

(e) the orders, if any, made by the disciplinary authority and the inquiring authority in regard to the inquiry.

18. **Action on the inquiry report.-** (1) The disciplinary authority, if it is not itself the inquiring authority may, for reasons to be recorded by it in writing, may remit the case to the inquiring authority for further inquiry and report and the inquiring authority shall thereupon proceed to hold the further inquiry according to the provisions of rule 17 as far as may be.

(2) The disciplinary authority, after receipt of the enquiry report as per rule 17 (23) (ii) or as per sub-rule (1), shall, if it disagrees with the findings of the inquiring authority on any article of charge, record its reasons for such

disagreement and record its own finding on such charge, if the evidences on record is sufficient for the purpose.

(3) The disciplinary authority shall forward or cause to be forwarded a copy of the inquiry report, together with its own findings, if any, as provided in sub-rule (2), to the government servant who may submit, if he or she so desires, his or her written representation or submission to the disciplinary authority within fifteen days.

(4) The disciplinary authority shall consider the representation or submission, if any, submitted by the government servant before proceeding further in the manner specified in sub rules (5) and (6).

(5) If the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge, is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (v) of rule 14 should be imposed on the government servant, it shall, notwithstanding anything contained in rule-19, make an order imposing such penalty.

(6) If the disciplinary authority, having regard to its findings on all or any of the articles of charge and on the basis of the evidence adduced during the inquiry is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (vi) to (x)of Rule 14 should be imposed on the Government servant, it shall make an order imposing such penalty and it shall not be necessary to give the government servant any opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed:

(7) Notwithstanding anything contained in sub-rule (5) and (6), in every case where it is necessary to consult the Commission, the Commission shall be consulted and its advice shall be taken into consideration before making any order imposing any penalty on the government servant.

19. **Procedure for imposing minor penalties** .- (1) Subject to the provisions of sub-rule (3) of rule 18, no order imposing on a government servant any of the penalties specified in clauses (i) to (v) of rule 14 shall be made except after -

(a) informing the government servant in writing of the proposal to take action against him and of the imputations of misconduct or misbehaviour on which it is proposed to be taken, and giving him reasonable opportunity of making such representation as he may wish to make against the proposal ;

(b) holding an inquiry in the manner laid down in sub-rules (3) to (23) of rule 17, in every case in which the disciplinary authority is of the opinion that such inquiry is necessary;

(c) taking the representation, if any, submitted by the government servant under clause (a) and the record of inquiry, if any, held under clause (b) into consideration;

(d) recording a finding on each imputation of misconduct or misbehaviour; and

(e) consulting the Commission where such consultation is necessary.

(2) The record of the proceedings in such cases shall include-

(i) a copy of the intimation to the government servant of the proposal to take action against him;

(ii) a copy of the statement of imputations of misconduct or misbehaviour delivered to him :

(iii) his representation, if any;

(iv) the evidence produced during the inquiry;

(v) the advice of the Commission, if any;

(vi) the findings of each imputation of misconduct or misbehaviour; and

(vii) the orders on the case together with the reasons therefor.

20. **Special procedure in certain cases.-**

Notwithstanding anything contained in rule 17 to 19-

(i) where any penalty is imposed on a government servant on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge, or

(ii) where the disciplinary authority is satisfied for reasons to be recorded by him in writing that it is not reasonably practicable to hold an inquiry in the manner provided in these Rules, or

(iii) where the Government is satisfied that in the interest of the State, it is not expedient to hold any inquiry in the manner provided in these Rules,

-the disciplinary authority may consider the circumstances of the case and make such orders thereon as it deems fit;

Provided that the government servant may be given an opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed before any order is made in a case under clause(i);

Provided further that the Commission shall be consulted, where such consultation is necessary, before any orders are made in any case under this rule.

21. **Communication of Orders.-** Orders made by the disciplinary authority shall be communicated to the government servant who shall also be supplied with a copy of its finding on each article of charge, or where the disciplinary authority is not the inquiring authority, a statement of the findings of the disciplinary authority together with brief reasons for its disagreement, if any, with the findings of the inquiring authority and also a copy of the advice, if any, given by the Commission, and where the disciplinary authority has not accepted the advice of the Commission, a brief statement of the reasons for such non-acceptance.

22. **Common Proceedings.-** (1) Where two or more government servants are concerned in any case, the government or any other authority competent to impose the penalty of dismissal from service on all such government servants may make an order directing that disciplinary action against all of them may be taken in a common proceeding.

NOTE .- If the authorities competent to impose the penalty of dismissal on such government servants are different, an order for taking disciplinary action in a common proceeding may be made by the highest of such authorities with the consent of the others.

(2) Any such order shall specify-

(i) the authority which may function as the disciplinary authority for the purpose of such common proceeding;

(ii) the penalties specified in rule 14 which such disciplinary authority shall be competent to impose;

(iii) whether the procedure laid down in rule 17 and rule 18 or rule 19 shall be followed in the proceeding.

PART- VII

APPEALS

23. **Orders against which appeal lies .-** A government servant may prefer an appeal against order of suspension or order of punishment.

24. **Appellate Authorities .-** (1) A government servant, including a person who has ceased to be in government service, may prefer an appeal against the orders specified in rule 23 to the authority specified in this behalf by a general or special order of the Government or, where no such authority is specified.-

(i) where such government servant is or was a member of Civil Service, Group-A or Group-B or holder of Civil post, Group-A or Group-B,-

(a) to the appointing authority, where the order appealed against is made by an authority subordinate to it; or

(b) to the Government where such order is made by any other authority;

(ii) where such Government servant is or was a member of a Civil Service, Group-C or Group-D, to the authority to which the authority making the order appealed against is immediately subordinate.

(2) There shall be no appeal against the orders of the Government, however review petitions may be filed in the form of Memorials.

(3) Where the person, who made the order appealed against becomes, by virtue of his subsequent appointment or otherwise, the appellate authority in respect of such order. an appeal against such order shall lie to the authority to which such

person is immediately subordinate or to an authority specially authorised for this purpose by the Government.

25. **Period of limitation for appeals** .- No appeal preferred under this Part shall be entertained unless such appeal is preferred within a period of forty five days from the date on which a copy of the order appealed against is delivered to the appellant:

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if he is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time.

26. **Forms and content of appeal.-** (1) Every person preferring an appeal shall do so separately and in his own name.

(2) The appeal shall be presented to the authority to whom the appeal may be filed and a copy of appeal will be forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against . It shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies, shall not contain any disrespectful or improper language, and shall be complete in itself.

(3) The authority which made the order appealed against, shall on receipt of a copy of the appeal, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the appellate authority without any avoidable delay, and without waiting for any direction from the appellate authority.

27. **Consideration of appeal.-** (1) In the case of an appeal against an order of suspension. the appellate authority shall consider whether in view of the provisions of rule 9 and having regard to the circumstances of the case, the order of suspension is justified or not and confirm or revoke or modify the order accordingly.

(2) In the case of an appeal against an order imposing any of the penalties specified in rule 14, the appellate authority shall consider-

(a) whether the procedure laid down in these Rules has been complied with and if not, whether such non-compliance has resulted in the violation of any provisions of the Constitution of India or in the failure of justice:

(b) whether the findings of the disciplinary authority are warranted by the evidence on the record; and

(c) whether the penalty imposed is adequate, inadequate or severe;

and pass orders-

(i) confirming, enhancing, reducing, or setting aside the penalty; or

(ii) remitting the case to the authority which imposed the penalty or to any other authority with such direction as it may deem fit in the circumstances of the case:

Provided that –

(i) the Commission shall be consulted in all cases where such consultation is necessary;

(ii) if the enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is one of the penalties specified in clauses (i) to (v) of rule 14 and an inquiry under rule 17 has not already been held in the case, the appellate authority shall, subject to the provisions of rule 19, himself hold such inquiry or direct that such inquiry be held in accordance with the provisions of rule 18 and thereafter on a consideration of the proceedings of such inquiry and after giving the appellant a reasonable opportunity, as far as may be in accordance with the provisions of clause (ii) of rule 18, of making a representation against the penalty proposed on the basis of the evidence adduced during such inquiry, make such orders as it may deem fit;

(iii) if the enhanced penalty which the appellate authority proposed to impose is one of the penalties specified in clauses (i) to (v) of rule 14 and an inquiry under rule 17 has already been held in the case, the appellate authority shall, make such orders as it may deem fit, after the appellant has been given a reasonable opportunity of making a representation against the proposed penalty; and

(iv) no order imposing an enhanced penalty shall be made in any other case unless the appellant has been given a reasonable opportunity, as far as may be, of making a representation against such enhanced penalty.

(3) The appellate authority shall consider all the circumstances of the case and make such orders as it may deem just and equitable.

PART- VIII

REVISION

28. Revision.- (1) Notwithstanding anything contained in these rules,-

(i) the Government, or

(ii) the head of a department directly under the Government, in the case of a Government servant serving in a department or office, under the control of such head of a department, or

(iii) the appellate authority, or

(iv) any other authority specified in this behalf by the Government by a general or special order, and within such time as may be prescribed in such general or special order,

-may at any time within six months of the date of the order proposed to be revised, either on his or its own motion or otherwise call for the records of any inquiry and revise any order made under these Rules or under the Rules repealed by the rule 32 (from which an appeal is allowed but from which no appeal has been preferred or from which no appeal is allowed), after consultation with the Commission where such consultation is necessary, and may-

(a) confirm, modify or set aside the order, or

(b) confirm, reduce, enhance or set aside the penalty imposed by the order, or impose any penalty where no penalty has been imposed, or

(c) remit the case to the authority, making the order or to any other authority, directing such authority, to make such further inquiry as he may consider proper in the circumstances of the case, or

(d) pass such other orders as it may deem fit:

Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by any revising authority unless the government servant concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed and where it is proposed to impose any of the penalties specified in clauses(vi) to (x) of rule-14 or to enhance the penalty imposed by the order sought to be revised to any of the penalties specified in those clauses, no such penalty shall be imposed without an inquiry in the manner laid down in rule-17 and after giving a reasonable opportunity to the government servant concerned of showing cause against the penalty proposed on the evidence adduced during the inquiry and except after consultation with the Commission where such consultation is necessary:

Provided further that no power of revision shall be exercised by the head of department, unless-

(i) the authority which made the order in appeal, or

(ii) the authority to which an appeal would lie, where no appeal has been preferred.

- is subordinate to him.

(2) No proceeding for revision shall be commenced until after

(i) the expiry of the period of limitation for an appeal, or

(ii) the disposal of the appeal, where any such appeal has been preferred.

(3) An application for revision shall be dealt with in the same manner as if it were an appeal under these Rules.

PART - IX

MISCELLANEOUS

29. **Power to relax time-limit and to condone delay** .- Save as otherwise expressly provided in these Rules, the authority competent under these Rules to make any order may, for good and sufficient reasons or if sufficient cause is shown, extend the time specified in these Rules for anything required to be done under these Rules or may condone any delay.

30. **Over-riding effect of these Rules** .- Notwithstanding contained any thing contrary to these Rules in any other Rules, the provisions of these Rules shall have over-riding effect.

31. **Power of the Government to make regulation.**- The government may make regulations to carry out all or any of the purposes of these Rules.

(2) All regulations made under these Rules shall be published in the official gazette.

32. **Repeal and Savings.**- (1) The notification No.- III/R1-101/63-8051-A dated 3rd July, 1963 adopting the Civil services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1930 and the Bihar and Orissa Subordinate Services (Discipline and Appeal) Rules, 1935 as well as Notifications making amendments in the said two Rules are hereby repealed.

(2) All instructions issued under the Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules,1930 and the Bihar and Orissa Subordinate Services (Discipline and Appeal) Rules, 1935 from time to time are hereby repealed.

(3) Anything done or any action taken in exercise of the powers under the Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, 1930 and the Bihar and Orissa Subordinate Service (Discipline & Appeal) Rules, 1935 shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under those Rules as if those Rules were in force on the day on which such thing or action was done or taken.

(4) Nothing in these Rules shall operate to deprive any person of any right of appeal, which he would have had if these Rules had not been made, in respect of any order passed before they came in force.

(5) Notwithstanding any thing contained in these Rules any departmental proceedings initiated under the Rules repealed shall continue under those Rules including the Appeal preferred against any punishment imposed as if those Rules were still in existence.

33. **Removal of doubts.-** If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules, the matter shall be referred to the Government in the Department of Personnel & Administrative Reforms and its decision shall be final.

[3/M1-16/2001]
By the order of the Governor of Bihar

(Ravikant)
Secretary to the Government

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित
तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण), 348—571+500—डी०टी०पी०